UPMZ010065662026

Addl. Distt. and Sess. Judge/Special Judge (POCSO Act), Muzaffarnagar
(Exclusive court for trying cases covered under the POCSO Act, 2012
पीठासीन अधिकारी(श्री मनोज कुमार सिद्धू)...............उच्चतर न्यायिक सेवा(UP06417)
विशेष सत्र परीक्षण संख्याः-2310/2026

उत्तर प्रदेश राज्य

...........अभियोजन पक्ष।

बनाम

टिंकू उर्फ पिंकू पुत्र ईश्वर निवासी ग्राम मोहद्दीनपुर, थाना खतौली जिला मुजफ्फरनगर।

............अभियुक्त।

मुकदमा अपराध सं०-69/ 2026
अर्न्तगत धारा-65(2) बी.एन.एस.
व धारा 5(एम/एन)/6 पॉक्सो एक्ट
थाना खतौली, जिला मुजफफरनगर

विषय वस्तु सारणी-

सूचनाकर्ता/वादिनी मुकदमा	पीडिता की माँ
प्रतिनिधित्व(वादी)/राज्य की ओर से उपस्थित अधिवक्ता	श्री दिनेश शर्मा श्री प्रदीप कुमार बालियान
प्रतिनिधित्व(अभियुक्त)/अभियुक्त की ओर से अधिवक्ता	सुश्री अर्चना, डिप्टी चीफ डिफेंस कॉउंसिल,डीएलएसए
घटना की तिथि	12.03.2026
प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित किए जाने की तिथि	12.03.2026
आरोप पत्र संख्या व प्रेषित किए जाने की तिथि	109/2026 07.05.2026
वाद संस्थित किए जाने की तिथि	11.05.2026
आरोप विरचित किए जाने की तिथि	03.07.2026
साक्ष्य अभिलेखन आरम्भ करने की तिथि	10.07.2025
बयान अन्तर्गत धारा 351BNSS अंकित किये जाने की तिथि	18.07.2026
अतिरिक्त बयान धारा 351BNSS अंकित किये जाने की तिथि	20.07.2026
अन्तिम तर्क/बहस की तिथि	21.07.2026

विशेष न्यायाधीश(पोक्सो एक्ट)/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
मुजफ्फरनगर

Digitally signed by MANOJ KUMAR SIDDHU
Date: 2026.07.27 15:56:35 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

निर्णय

01- अभियुक्त **टिंकू उर्फ पिंकू** के विरूद्ध थाना **खतौली**, जिला मुजफफरनगर की पुलिस द्वारा मु.अ.सं.-69 सन् 2026, अंर्तगत धारा 65(2) बी.एन.एस. व धारा 5(एम/एन)/6 पॉक्सो एक्ट , थाना खतौली, जिला मुजफफरनगर के मामले में प्रेषित आरोप-पत्र पर अभियुक्त **टिंकू उर्फ पिंकू** के विरुद्ध अपराध का संज्ञान लिया गया और अभियुक्त का विचारण धारा 65(2) बी.एन.एस. व धारा 5(एम/एन)/6 पॉक्सो एक्ट के आरोप के लिये इस न्यायालय द्वारा पूर्ण किया गया|

02- चूँकि प्रकरण यौन अपराध से सम्बन्धित है| माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **निपुन सक्सेना व एक अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य (2019) 2 एस०सी०सी० 703** में दिए गए दिशा-निर्देशों एवं **लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा-33(7)** के उपबन्धों के अधीन प्रस्तुत निर्णय में पीड़िता के नाम के स्थान पर मात्र **" पीड़िता "** शब्द प्रयुक्त किया जायेगा|

03- वादिनी मुकदमा **श्रीमती प्रियंका** द्वारा घटना के सम्बन्ध में थाना **खतौली**, जिला मुजफफरनगर में प्रस्तुत की गई लिखित तहरीर रिपोर्ट **प्रदर्श क-3** के अनुसार अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि वादिनी मुकदा प्रियंका पत्नी मंजीत पुत्री नीटू निवासी ग्राम मोहिद्दीनपूर थाना खतौली जनपद मुजफ्फरनगर की निवासी है| उसकी शादी ग्राम खेडी सराय थाना मीरापुर जनपद मुजफ्फरनगर में मंजीत पुत्र वेदपाल के साथ हुई थी| दिनांक 10/03/2026 को वह अपने मायके मोहिद्दीनपुर आई थी| दिनांक 12/03/2026 को समय करीब 1 बजे उसकी बेटी पीडिता उम्र करीब डेढ वर्ष को उसके ताऊ का लडका पिंकू पुत्र ईश्वर निवासी मोहिद्दीनपुर थाना खतौली जनपद मुजफ्फरनगर उम्र करीब 30 वर्ष दुकान से विस्कुट दिलाने ले गया था| वापिस जब उसकी लडकी को लाया तो उसका नेकर खून से लथपथ था| उसने नैकर उतार कर देखा तो उसके प्राईवेट पार्टस से खून आ रहा था| उसकी लडकी का पिंकू ने बलात्कार कर दिया है| अतः श्रीमान जी से अनुरोध है कि उसकी रिपोर्ट लिखकर कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करे|

04- वादिनी मुकदमा **श्रीमती प्रिंयका** द्वारा घटना के सम्बन्ध में उक्त कथनों के साथ संबंधित थाना में प्रस्तुत की गई तहरीर रिपोर्ट **प्रदर्श क-3** के आधार पर दिनांक **12.03.2026** को समय 13:00 बजे थाना **खतौली**, जिला मुजफफरनगर में मु.अ.सं.-69 सन् 2026 बनाम अभियुक्त **टिंकू उर्फ पिंकू** के विरूद्ध धारा 65(2) बी.एन.एस. व 5(एन/एम)/6 पॉक्सो एक्ट के अर्न्तगत

अभियोग पंजीकृत होकर चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट **प्रदर्श क-1** किता की गई, जिसका खुलासा कायमी मुकदमा जी.डी. **प्रदर्श क-2** में किया गया।

05- प्रस्तुत दाण्डिक मामले की विवेचना उप-निरीक्षक को सुपुर्द की गई। विवेचना अधिकारी ने विवेचना के दौरान पीडिता की माँ वादिनी मुकदमा के बयान अन्तर्गत धारा 183 **बी.एन.एस.एस.** व गवाहन के बयान अन्तर्गत धारा 180 **बी.एन.एस.एस.** अंकित किये। घटना स्थल का निरीक्षण कर नक्शा- नजरी **प्रदर्श क-9** तैयार किया। अभियुक्त को गिरफ्तार किया। पीडिता का चिकित्सीय परीक्षण कराया। विवेचक ने पीडिता की चिकित्सीय परीक्षण आख्यायें प्राप्त की। विवेचना अधिकारी ने विवेचना के दौरान संकलित की गयी साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध **धारा 65(2) बी.एन.एस. व धारा 5(एम/एन)/6 पॉक्सो एक्ट** के अन्तर्गत आरोप पत्र **प्रदर्श क-10** न्यायालय में प्रस्तुत किया।

06- अभियुक्त **टिंकू उर्फ पिंकू** के विरुद्ध विवेचक द्वारा प्रस्तुत किये गये आरोप-पत्र पर न्यायालय द्वारा उपरोक्त अपराध के लिये अभियुक्त के विरुद्ध प्रसंज्ञान लेते हुए आरोप-पत्र को पंजीकृत करने का आदेश पारित किया।

07- अभियुक्त के द्वारा उसके अधिवक्ता न होने पर उसके द्वारा निशुल्क अधिवक्ता दिलाये जाने की याचना पर उसे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मुजफ्फरनगर से निशुल्क अधिवक्ता उपलब्ध कराये गये है, जो अभियुक्त की उपरोक्त मामले में पैरवी एवं उसका पक्ष रख रहे है।

08- न्यायालय द्वारा अभियुक्त **टिंकू उर्फ पिंकू** के विरुद्ध धारा 65(2) **बी.एन.एस. व धारा 5(एम/एन)/6 पॉक्सो एक्ट** के अन्तर्गत आरोप विरचित किया गया। अभियुक्त को आरोप पढ़कर सुनाया-समझाया गया तो उसने आरोप से इन्कार किया तथा विचारण की मांग की।

09- अभियोजन ने अपने केस को साबित करने के लिये मौखिक साक्ष्य में अभियोजन साक्षी पी.डब्ल्यू.-1 सी.सी.1546 रजनी, पी.डब्ल्यू-2 वादिनी मुकदमा प्रियंका, पी.डब्ल्यू.-3 **अंकुर** , पी0 डब्ल्यू0-4 मंजीत कुमार, पी0 डब्ल्यू0-5 डॉ. सना फातिमा, पी0 डब्ल्यू0-6 उपनिरीक्षक आरिफ अली व पी0 डब्ल्यू0-7 डॉक्टर यशस्वी जैन को परीक्षित कराया गया है।

10- अभियुक्त का बयान अंतर्गत धारा 351 बी.एन.एस.एस. अभिलिखित किया गया, जिसमें अभियुक्त ने समस्त अभियोजन केस को गलत होने का कथन करते हुए गवाह द्वारा दिये गये बयानों को झूठा कहा गया है और विवेचक द्वारा भी झूठी गवाही दिये जाने व झूठा गिरफ्तार

किये जाने का कथन किया है| विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट के संबंध में भी कोई जानकारी न होने का कथन किया है, जमीन के विवाद में झूठा मुकदमा चलने व सफाई साक्ष्य दिये जाने का कथन किया है और यह कहा है कि वह निर्दोष है, उसे जमीन के झगड़े में झूठा फंसाया गया है|

11- उभय पक्ष के तर्कों को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य का परिशीलन किया|

12- प्रस्तुत मामले में विद्वान विशेष लोक अभियोजक के द्वारा यह तर्क दिया गया है कि प्रस्तुत मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अभियोजन कथानक को साबित करने हेतु 07 साक्षीगण को परीक्षित कराया गया है, जिसमें से 03 साक्षीगण तथ्य के साक्षी है एवं 04 साक्षीगण औपचारिक साक्षीगण है| विद्वान विशेष लोक अभियोजक के द्वारा तर्क दिया गया है कि वादिनी मुकदमा जिसके द्वारा इस मुकदमें की प्राथमिकी लिखायी गई थी, उसके द्वारा थाने पर दी गयी तहरीर को, जो पत्रावली में संलग्न है, को **प्रदर्श क-2** के रुप में साबित किया है और इस तथ्य को भी पूरी तरह से साबित किया है कि कथित घटना वाले दिन अभियुक्त उसकी डेढ वर्ष की पुत्री/पीडिता को दुकान से चीज दिलाने के बहाने दिन के करीब 01 बजे अपने साथ ले गया था और उसे अपने घर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म कारित किया| विद्वान विशेष लोक अभियोजक के द्वारा यह तर्क दिया गया है कि वादिनी मुकदमा ने अपने बयान अन्तर्गत धारा 180 व 183 बी.एन्न.एस.एस. तथा न्यायालय के समक्ष अंकित कराये गये बयान में इस तथ्य की पूरी तरह से पुष्टि की है कि अभियुक्त के द्वारा ही उसकी पुत्री/पीडिता के साथ दुष्कर्म की घटना कारित की गयी है| अभियोजन पक्ष की ओर से एफ.आई.आर. लिखने वाले कांनस्टेवल को **साक्षी पी0 डब्ल्यू0-1** के रूप में परीक्षित कराया है, जिसने एफ.आई.आर. के लिखे जाने के तथ्य की पुष्टि होना साबित किया है| विद्वान विशेष लोक अभियोजक के द्वारा तर्क दिया गया है कि अभियोजन पक्ष की ओर से तथ्य के दो अन्य साक्षीगण जो पीडिता के मामा व पिता है, जो क्रमशः पी0 डब्ल्यू0-3 व पी0 डब्ल्यू0-4 के रूप में परीक्षित कराये गये हैं| साक्षी पी0 डब्ल्यू0-3 ने एफ.आई.आर. लिखे जाने, पीडिता का मेडिकल परीक्षण कराये जाने, घटना वाले दिन उसका गांव में होने तथा घटना के दिन घटना की सूचना 112 नंबर पर फोन करके पुलिस को दिये जाने इत्यादि समस्त तथ्यों को न्यायालय के समक्ष मौखिक साक्ष्य के माध्यम से साबित किया है और वादिनी मुकदमा के साक्ष्य की सम्पुष्टि उक्त साक्षी ने की है| इसके अतिरिक्त एक अन्य **साक्षी पी0 डब्ल्यू0-4** को भी अभियोजन ने परीक्षित कराया है, जिसने घटना का सही होना साबित किया है| अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित

कराये गये दो चिकित्सकों को क्रमशः पी0 डब्ल्यू0-5 व पी0 डब्ल्यू0-7 के रुप में परीक्षित कराया है, जिन्होंने ने पीडिता के मेडिकल परीक्षण करने व पीडिता के साथ दुष्कर्म किये जाने के तथ्य की पुष्टि की है| अभियोजन ने साक्षी पी0 डब्ल्यू0-6 जो प्रस्तुत मामले का विवेचक है, को परीक्षित कराया गया है जिसके द्वारा पत्रावली पर संकलित किये गये साक्ष्य, साक्षीगण के बयान, नक्शा नजरी व आरोप-पत्र का सही होना साबित किया है| उक्त साक्षी के बचाव पक्ष द्वारा किये गये विस्तृत प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष ऐसा कोई तथ्य नहीं निकाल सका है जिससे घटना का होना सन्देहास्पद हो सके| विद्वान विशेष लोक अभियोजन के द्वारा यह भी तर्क दिया गया है कि अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत तथ्य के अन्य तीन साक्षीगण घटना का पूर्ण रुपेण समर्थन करते है| तर्क दिया गया है कि अभियोजन पक्ष के सम्पूर्ण साक्ष्य के आधार पर ही गुण-दोष के आधार पर वाद का निस्तारण होना चाहिए, न कि किसी विशिष्ट तथ्य के आधार पर उसका लाभ अभियुक्त को प्रदान किया जाना चाहिए| तर्क यह भी दिया गया कि जब अभियोजन पक्ष के अन्य तथ्य के साक्षीगण घटना का पूर्ण रुपेण समर्थन न्यायालय के समक्ष अपने बयानों में कर रहे है तो ऐसी परिस्थिति में अभियुक्त सन्देह का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं माना जा सकता है| अभियोजन कथानक उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर साबित है| अतः अभियुक्त को दोषसिद्ध किये जाने की याचना की गई है|

13- बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत मामले में यह तर्क दिया गया है कि अभियोजन पक्ष की ओर से घटना दिनांक 12.03.2026 की बतायी गई है, जबकि अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी पी0 डब्ल्यू0-3 ने अपने धारा 180 व 183 बी.एन.एस.एस. के बयान में घटना-स्थल नहीं बताया है, बल्कि पहली बार घटना स्थल अभियुक्त का घर होना बताया है| अभियोजन पक्ष के साक्षी पी0 डब्ल्यू0-2,पी0 डब्ल्यू0-3 व पी0 डब्ल्यू0-4 घटना के चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है| बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित साक्षी पी0 डब्ल्यू0-3 अंकुर के परिप्रेक्ष्य में कथन किया है कि उसके द्वारा न्यायालय में दिये गये बयान, उसके अन्तर्गत धारा 180 बी.एन्न.एस.एस. में दिये गये बयानों के विरोधाभासी है, क्योंकि उसके द्वारा घटना वाले दिन बाहर काम पर जाना बताया गया है और न्यायालय के समक्ष अंकित कराये गये बयान में वह पूरे दिन घर पर होना स्वयं को बता रहा है| इसके अतिरिक्त उक्त साक्षी घटना का चक्षुदर्शी भी नहीं है| तर्क दिया गया है कि अभियोजन साक्षी पी0 डब्ल्यू0-4 जो पीडिता का पिता है, वह भी घटना का चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है| अतः उक्त तीनों साक्षीगण घटना के

चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है। सभी साक्षीगण का साक्ष्य अनुश्रुत साक्ष्य पर आधारित है। बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता की ओर से अपने बचाव में भी यह तर्क प्रस्तुत वास्तव में अभियुक्त के द्वारा कोई घटना कारित नहीं की गयी है, बल्कि वादिनी मुकदमा की पुत्री पीडिता को गिरने से उसके जननांगो में चोटें आ गई थी। वादिनी मुकदमा के भाई से अभियुक्त का जमीन व पैसे के लेन देन का विवाद है, जिसकी वजह से वादिनी मुकदमा ने उक्त अभियोग अभियुक्त के विरूद्ध पंजीकृत कराया है। तर्क दिया गया है कि अभियोजन कथानक सन्देह से परे अभियुक्त के विरूद्ध सन्देह से साबित नहीं होता है। अभियुक्त को सन्देह का लाभ देते हुए दोष मुक्त किये जाने की याचना की गई है।

14- उभय पक्षों की ओर से प्रस्तुत तर्कों/कथनों के दृष्टिगत पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक व प्रलेखीय साक्ष्यों का सम्यक अवलोकन किया।

15- दं०प्र०सं० की धारा-354(बी) के अन्तर्गत इस सत्र वाद के निस्तारण हेतु निम्नलिखित वाद बिन्दु सृजित किये जाते है-

1- क्या घटना की तिथि पर पीड़िता अवयस्क थी?

2- क्या अभियुक्त टिंकू उर्फ पिंकू ने दिनांक 12.03.2026 को समय 13:00 बजे बहद स्थान मोहिद्दीपुर, अन्तर्गत थाना खतौली जिला मुजफ्फरनगर में वादिनी मुकदमा की नाबालिग पुत्री/पीडिता उम्र करीब डेढ वर्ष(जिसकी आयु 12 वर्ष से कम) के साथ बलात्संग कर उस पर लैंगिक प्रवेशन द्वारा हमला कारित किया ?

16- माननीय सर्वोच्च न्यायालय की सम्मानित विधि व्यवस्था **मनोजभाई जेठाभाई परमार (रोहित) बनाम स्टेट ऑफ गुजरात राज्य, 2025 आईएनएससी 1433 (दाण्डिक अपील संख्या-2973/2023, दिनांकित 15.12.2025)** के अनुपालन में प्रस्तुत प्रकरण में न्यायालय के समक्ष परीक्षित साक्षीगण, प्रदर्श प्रपत्र एवं वस्तु प्रदर्श की सूचियां निम्नवत् हैं-

अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षीगण का चार्ट-

अभियोजन साक्षी संख्या	साक्षी का नाम	विवरण
पी०डब्ल्यू०-1	सी.सी.1546 रजनी	एफ.आई.आर. लेखक
पी०डब्ल्यू०-2	श्रीमती प्रियंका	वादिनी मुकदमा
पी०डब्ल्यू०-3	अंकुर	स्वतंत्र साक्षी
पी०डब्ल्यू०-4	मंजीत कुमार	स्वतंत्र साक्षी

**विशेष न्यायाधीश(पोक्सो एक्ट)/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
मुजफ्फरनगर**

पी०डब्ल्यू०-5	डॉ. सना फातिमा	चिकित्सक
पी०डब्ल्यू०-6	आरिफ अली	विवेचक
पी0 डब्ल्यू0-7	डॉ. यशस्वी जैन	चिकित्सक

बचाव पक्ष की ओर से परीक्षित साक्षीगण का चार्ट-

बचाव साक्षी संख्या	**साक्षी का नाम**	**विवरण**
डी0 डब्ल्यू0-1	रविन्द्र	अभियुक्त का पिता
डी0 डब्ल्यू0-2	क्रांति	अभियुक्त की माता

अभियोजन प्रपत्रों पर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रदर्शः चार्ट-

क्र.सं.	प्रदर्श संख्या	किस साक्षी द्वारा साबित	प्रकार
1.	प्रदर्श क-1	पी०डब्ल्यू०-1	चिक एफ.आई.आर.
2.	प्रदर्श क-2	पी०डब्ल्यू०-1	जी.डी. कायमी
3.	प्रदर्श क-3	पी0 डब्ल्यू0-2	तहरीर
4.	प्रदर्श क-4	पी0 डब्ल्यू0-2	बयान 183 बी.एन.एस.एस.
5.	प्रदर्श क-5	पी0 डब्ल्यू0-5	सी.एच.सी. भोपा रसीद
6.	प्रदर्श क-6	पी0 डब्ल्यू0-5	मेरठ रेफर रसीद
7.	प्रदर्श क-7	पी0 डब्ल्यू0-5	एम.एल.आर.
8.	प्रदर्श क-8	पी0 डब्ल्यू0-5	रेफर स्लिप
9.	प्रदर्श क-9	पी0 डब्ल्यू0-6	नक्शा नजरी
10.	प्रदर्श क-10	पी0 डब्ल्यू0-6	आरोप-पत्र
11.	प्रदर्श क-11	-	डी.एन.ए./एफ.एस.एल. रिपोर्ट
12.	प्रदर्श क-12	पी0 डब्ल्यू0-7	मेडिकल रिपोर्ट

बचाव पक्ष की ओर से प्रदर्श प्रपत्रों का चार्ट

प्रदर्श संख्या	**प्रदर्श का विवरण**	**किसके द्वारा साबित/प्रमाणित किया गया**
-	-	-

निष्कर्ष

17- अभियुक्त पर आरोप है कि उसने **दिनांक 12.03.2026 को समय 13:00 बजे बहद स्थान मोहिद्दीपुर, अन्तर्गत थाना खतौली जिला मुजफ्फरनगर में वादिनी मुकदमा की नाबालिग**

पुत्री/पीडिता उम्र करीब डेढ वर्ष(जिसकी आयु 12 वर्ष से कम) के साथ बलात्संग कर उस पर लैंगिक प्रवेशन द्वारा हमला कारित किया। जिसे साबित करने का प्राथमिक भार अभियोजन पर है। अभियोजन पक्ष द्वारा अपने कथन को साबित करने हेतु कुल **07 साक्षीगण** का साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है, जबकि बचाव पक्ष द्वारा कथन किया गया है कि अभियुक्त को झूठा फंसाया गया है। ऐसे में अभियोजन पक्ष के लिए आबध्यकारी है कि वह सकारात्मक रूप से अभियुक्त पर लगाए गए आरोप को युक्ति-युक्त सन्देह से परे साबित करे।

18- <u>श्रीमती शमीम बनाम दिल्ली राज्य जे.टी. 2018 (9) 23 एस.सी.</u> में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि प्रत्येक अपराधिक विचारण सत्य की खोज, अभिलाशा है। आपराधिक विचारण करने वाले न्यायाधीश का केवल यह देखना उत्तरदायित्व नहीं है कि किसी निर्दोष को सजा न हो पाये, बल्कि यह भी देखना है कि कोई दोषी व्यक्ति छूट न पाये। दोनों समान रूप से महत्वपूर्ण है, दोनों का लोक उत्तरदायित्व है, जिसका निर्वहन प्रत्येक न्यायाधीश को करना है।

<u>**निस्तारण अवधार्य बिन्दु संख्या 01-**</u>

19- सर्वप्रथम यदि इस बिन्दु पर विचार किया जाए कि **क्या घटना की तिथि पर पीड़िता अवयस्क थी** ?

20- इस परिप्रेक्ष्य में माननीय उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्था <u>**जरनैल सिंह बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा 2013 एस 0 सी0 सी0 2603**</u> उल्लेखनीय है, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया है कि धारा-12 किशोर न्याय (बालको की देख रेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2007 के अनुसार पीड़िता की आयु इस प्रकार निर्धारित की जायेगी, जिस प्रकार किशोर न्याय प्रणाली में प्रावधानित किया गया है।

21- <u>**किशोर न्याय (बालकों की देख रेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 की धारा-94**</u> में आयु के सम्बन्ध में उपधारणा और उसके अवधारण के बारे मे निम्न प्रावधान किये गये है-

(1) जहां बोर्ड या समिति को, इस अधिनियम के किसी उपबन्ध के अधीन (साक्ष्य देने के प्रयोजन से भिन्न) उसके समक्ष लाये गये व्यक्ति की उपसंजाति के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि उक्त व्यक्ति बालक है तो समिति या बोर्ड बालक की यथासंभव सन्निकट आयु का कथन करते हुये ऐसे संप्रेषण को अभिलिखित करेगा और आयु की और अभिपुष्टि की प्रतीक्षा किये बिना, यथास्थिति, धारा-14 या धारा-36 के अधीन जांच करेगा।

(2) यदि समिति या बोर्ड के पास इस सम्बन्ध मे संदेह होने के युक्तियुक्त आधार है कि क्या उसके समक्ष लाया गया व्यक्ति बालक है या नहीं, तो यथास्थिति समिति या बोर्ड, निम्नलिखित साक्ष्य अभिप्राप्त करके आयु अवधारण की प्रक्रिया का दायित्व लेगा-

(i) विद्यालय से प्राप्त जन्म तारीख प्रमाण पत्र या सम्बन्धित परीक्षा बोर्ड से मैट्रिकुलेशन या समतुल्य प्रमाण पत्र, यदि उपलबध हो, और उसके अभाव में,

(ii) निगम या नगरपालिका प्राधिकारी या पंचायत द्वारा दिया गया जन्म प्रमाण पत्र,

(iii) और केवल उपरोक्त (i) (ii) के अभाव मे आयु का अवधारण समिति या बोर्ड के आदेश पर की गयी अस्थि जांच या कोई अन्य नवीनतम चिकित्सीय आयु अवधारण जांच के आधार पर किया जायेगा।

परन्तु समिति या बोर्ड के आदेश पर की गयी ऐसी आयु अवधारण जांच ऐसे आदेश की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर पूरी की जायेगी।

(3) समिति या बोर्ड द्वारा उसके समक्ष इस प्रकार लाये गये व्यक्ति की अभिलिखित आयु, इस अधिनियम के प्रयोजन के लिये उस व्यक्ति की सही आयु समझी जायेगी।

22- इस प्रकार किशोर न्याय (बालकों की देख रेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 की धारा-94 में पीड़िता की आयु निर्धारण के सम्बन्ध में स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि यदि पीड़िता के सम्बन्ध में विद्यालय से प्राप्त जन्म तारीख प्रमाण पत्र या सम्बन्धित परीक्षा बोर्ड से मैट्रिकुलेशन या समतुल्य प्रमाण पत्र, यदि उपलबध हो तो उसके आधार पर आयु का निर्धारण किया जा सकता है, यदि उक्त प्रपत्र उपलब्ध नहीं हो तो निगम या नगरपालिका प्राधिकारी या पंचायत द्वारा दिया गया जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर पीड़िता की आयु का निर्धारण किया जाएगा और उक्त दोनों का अभाव हो तो आयु का अवधारण समिति या बोर्ड के आदेश पर की गयी अस्थि जांच या कोई अन्य नवीनतम चिकित्सीय आयु अवधारण जांच के आधार पर किया जायेगा।

23- प्रस्तुत मामले में यदि पीड़िता की आयु के सम्बन्ध में अभियोजन पक्ष की से प्रस्तुत प्रपत्रों को देखें तो प्रस्तुत मामले की पीड़िता की आयु के सम्बन्ध में अभियोजन पक्ष की ओर से पीडिता की आयु के संबंध में पीडिता का जन्म प्रमाण-पत्र पत्रावली पर कागज सं0-10 क/1 दाखिल किया गया है, जिसमें पीडिता की जन्मतिथि **09.09.2024** है तथा घटना दिनांक **12.03.2026** की है जिसके अनुसार घटना के समय पीडिता की आयु **01 वर्ष 06 माह 03 दिन** की

थी। पीडिता का चिकित्सकीय परीक्षण करने वाले चिकित्सक के द्वारा भी पीडिता की आयु डेढ वर्ष अंकित किया गया है। इसके अतिरिक्त सरदार बल्लभभाई पटेल मेडिकल कॉलेज मेरठ के ओ.पी.डी. पर्चा संलग्न किया गया है जिसके अवलोकन से विदित है कि उस पर भी पीडिता की आयु 01 वर्ष 05 माह अंकित है, अर्थात पीडिता की घटना के समय उम्र लगभग **डेढ वर्ष** थी। विवेचक के द्वारा साक्ष्य संलकन के दौरान केस डायरी के पर्चे में इस तथ्य का उल्लेख किया है कि पीडिता की आयु लगभग डेढ वर्ष होने के कारण वह बोलने में सक्षम नहीं है। अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी **पी0 डब्ल्यू0-2 जो पीडिता की माँ** है, ने भी अपनी मुख्य परीक्षा में इस तथ्य की पुष्टि की है कि **उसकी पुत्री/पीडिता का जन्म 09.09.2024 को हुआ था**। अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी पी0 डब्ल्यू0-4 जो पीडिता का पिता है, ने भी इस तथ्य की पुष्टि अपने साक्ष्य से की है कि **उसकी बेटी की जन्मतिथि 09.09.2024 है**। अतः घटना दिनांक **12.03.2026** को पीडिता डेढ वर्ष की अवयस्क बालिका थी। अभियोजन की ओर से प्रस्तुत प्रमाण पत्र में दर्शित पीड़िता की आयु के सही होने की पुष्टि हो रही है, जिनके अनुसार पीड़िता घटना के समय **01 वर्ष 06 माह 03 दिन की, अर्थात 12 वर्ष से कम थी**। अतः निष्कर्षतः इस न्यायालय के मत में स्पष्ट है कि पीड़िता की कथित घटना के समय अवयस्क थी। **अर्थात् पीड़िता कथित घटना के समय अवस्यक थी।**

निस्तारण अवधार्य बिन्दु संख्या 02-

24- सर्वप्रथम यदि इस बिन्दु पर विचार किया जाए कि **क्या अभियुक्त टिंकू उर्फ पिंकू ने दिनांक 12.03.2026 को समय 13:00 बजे बहद स्थान मोहिद्दीपुर, अन्तर्गत थाना खतौली जिला मुजफ्फरनगर में वादिनी मुकदमा की नाबालिग पुत्री/पीडिता उम्र करीब डेढ वर्ष(जिसकी आयु 12 वर्ष से कम) के साथ बलात्संग कर उस पर लैंगिक प्रवेशन द्वारा हमला कारित किया ?**

25- सर्व प्रस्तुत मामले में अभियोजन प्रपत्र प्रथम सूचना रिपोर्ट को देखे तो प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार वादिनी मुकदमा **श्रीमती प्रियंका पत्नी मंजीत** ने थाना **खतौली** पर **दिनांक 12.03.2026 को समय 17:17 बजे** प्राथमिकी इस आशय की लिखायी है कि दिनांक 10.03.2026 को वह अपने मायके आयी थी। दिनांक 12.03.2026 को दिन के 01 बजे उसकी पुत्री पीडिता उम्र एक वर्ष को उसके ताऊ का लडका अभियुक्त पिंकू दुकान से बिस्कुट दिलाने के लिए लेकर गया था, लेकिन जब वह उसकी लडकी को लेकर वापस आया तो वादिनी ने देखा की उसकी पुत्री के कपड़े खून से सने हुए थे और पीडिता के प्राइवेट पार्ट से खून आ रहा था जिससे वादिनी को ज्ञात हुआ कि टिंकू ने वादिनी की पुत्री के साथ दुष्कर्म किया है। वादिनी के द्वारा थाने पर दी गयी

तहरीर को अपने मुख्य परीक्षण के दौरान प्रदर्श क-3 के रूप में सही होना साबित किया है। पत्रावली पर उपलब्ध जी.डी.सं0-41 के अनुसार दिनांक 12.03.2026 को 17.17 बजे थाना खतौली पर वादिनी के द्वारा तहरीर दी गयी जिसके आधार पर मुकदमा कायम किया गया। उक्त जी.डी. को अभियोजन पक्ष के साक्षी पी0 डब्ल्यू0-1 के द्वारा सही होना साबित किया गया है।

26- इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध तहरीर, जी.डी. एवं प्रथम सूचना रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त मामले की घटना दिन के 01 बजे की है तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट थाने पर समय 17:17 बजे उसी दिन दिनांक 12.03.2026 को पंजीकृत करायी गयी है। अर्थात प्रथम सूचना रिपोर्ट के दर्ज कराये जाने में किसी प्रकार का कोई विलम्ब नहीं है तथा पत्रावली पर तहरीर, जी.डी. एवं प्रथम सूचना रिपोर्ट अभियोजन पक्ष के साक्षी पी0 डब्ल्यू0-1 व पी0 डब्ल्यू0-2 के द्वारा सही होना साबित किया है।

27- प्रस्तुत मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत किये गये साक्ष्य का मूल्यांकन करने से पूर्व इस तथ्य का उल्लेख करना समीचीन होगा कि पीडिता की आयु घटना के समय डेढ वर्ष थी। पीडिता की आयु के संबंध में पीडिता का जन्मप्रमाण-पत्र पत्रावली पर कागज सं0-10 क/1 दाखिल किया गया है जिसमें पीडिता की जन्मतिथि 09.09.2024 है तथा घटना दिनांक 12.03.2026 की है। अतः ऐसी परिस्थिति में घटना के समय पीडिता की आयु लगभग डेढ वर्ष निर्धारित होती है। पीडिता का चिकित्सकीय परीक्षण करने वाले चिकित्सक के द्वारा भी पीडिता की आयु डेढ वर्ष अंकित किया गया है। इसके अतिरिक्त सरदार बल्लभभाई पटेल मेडिकल कॉलेज मेरठ के ओ.पी.डी. पर्चे के अवलोकन से विदित है कि उस पर भी पीडिता की आयु 01 वर्ष 05 माह अंकित है। अर्थात पीडिता की घटना के समय उम्र लगभग डेढ वर्ष थी। **विवेचक के द्वारा साक्ष्य संलकन के दौरान केस डायरी के पर्चा सं0-3 में इस तथ्य का उल्लेख किया है कि पीडिता की आयु लगभग डेढ वर्ष होने के कारण वह बोलने में सक्षम नहीं है। इस कारण से विवेचक के द्वारा केस डायरी में पीडिता की मां वादिनी मुकदमा का बयान अन्तर्गत धारा 180 व 183 बी.एन.एस.एस. अंकित कराया गया है और न्यायालय के समक्ष भी बयान अंकित कराते समय पीडिता बोल नहीं पाती थी इसलिए वादिनी मुकदमा का ही बयान प्रस्तुत मामले में अंकित किया गया है।**

28- अब यदि हम अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत किये गये साक्ष्य को देखे तो अभियोजन पक्ष की ओर से वादिनी मुकदमा को साक्षी **पी0 डब्ल्यू0-2** के रूप में परीक्षित कराया गया है। उक्त साक्षी ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि *"दिनांक 10.03.2026 को वह*

*अपने मायके मोहद्दीनपुर आयी हुई थी। दिनांक 12.03.2026 को समय करीब दोपहर के 1 बजे उसकी पुत्री/पीडिता डेढ वर्ष को उसके ताऊ का लडका टिंकू उर्फ पिंकू बिस्कुट दिलाने के बहाने ले गया, थोडी देर बाद जब टिंकू उसकी लडकी को वापस लेकर आया, तो उसकी लडकी का नैक्कर खून से भीगा हुआ था। उसने उसका नैक्कर निकालकर देखा तो उसके प्राइवेट पार्ट से खून आ रहा था और टिंकू के हाथ पर भी खून लगा था। उसने टिंकू से पूछा तो वह वहाँ से तुरंत भाग गया, टिंकू ने उसकी लडकी/पीडिता को अपने घर ले जाकर उसके साथ बलात्कार किया था, तभी उसके भाई ने 112 नम्बर पर पुलिस को फोन करके बुलाया तो पुलिस हमे थाने पर लेकर गयी, थाने पर हमारे से पूछताछ की, फिर उसने अपने भाई से बोल-बोल कर एक प्रार्थना-पत्र लिखवाया, उसने उसे पढकर सुनाया। फिर उसने उस पर अपने हस्ताक्षर किये थे। पत्रावली में शामिल तहरीर को देखकर कहा कि यह वही प्रार्थना पत्र है, जो उसने अपने भाई से बोल-बोलकर लिखवाया था जिस पर उसके हस्ताक्षर है जिसकी वह शिनाख्त करती है, जिस पर **प्रदर्श क-3** डाला गया, फिर उसकी लडकी की पुलिस ने खतौली में डाक्टरी करायी थी, वहाँ से हमे मेरठ के लिये भेज दिया था। उसी दिन मेरठ मे उसकी लडकी का मेरठ अस्पताल में डाक्टरी हुई थी। डाक्टर साहब ने घटना के बारे में उससे पूछा था। उसने सब बात बता दी थी। डाक्टर साहब ने उसे हस्ताक्षर व उसकी लडकी के हाथों के निशान लगवाये थे, फिर दरोगा जी ने अगले दिन उसके बयान लिये थे। उसके बाद दरोगा जी ने न्यायालय मे मजिस्ट्रेट साहब के सामने उसके बयान करवाये थे। माननीय न्यायालय की अनुमति से आज एक सील बन्द लिफाफा धारा 183 बी0 एन 0 एस 0 एस 0 बयान का खोला गया, जिसमें पीडिता की माँ ने अपने फोटो व हस्ताक्षर की शिनाख्त की, जिस पर **प्रदर्श क-4** डाला गया, पीडिता की माँ को उसका बयान 183 बी0 एन 0 एस 0 एस 0 पढकर सुनाया गया तो पीडिता की माँ ने कहा की उसने यही बयान दिया था। जब पुलिस हमारे घर पर आयी थी तो हमने पुलिस को सारी घटना बता दी थी, फिर पुलिस ने टिंकू उर्फ पिंकू को गांव में से ही पकड लिया था।"*

29- अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी **पी0 डब्लू0-02 श्रीमती प्रियंका वादिया मुकदमा/पीडिता की माँ,** ने बचाव पक्ष द्वारा किये गये प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि "तहरीर पर मेरे हस्ताक्षर है। तहरीर मैंने अपने भाई अंकुर से लिखवायी थी, मैंने बोल बोल कर तहरीर लिखायी थी, उसने मुझे तहरीर पढकर सुनायी थी। मेरी शादी को 6 वर्ष हो चुके है। **मेरी पुत्री/पीडिता का जन्म 09.09.2024 को हुआ था।** <u>अभियुक्त टिंकू मेरे मायके के पडोस का रहने वाला है, उसके पिताजी को हम ताऊ कहते है</u>। घटना दिन के 1 बजे की है, घटना तीसरे महीने की

12 तारीख्र को हुई थी| अभियुक्त टिंकू हमारे घर पर पहले भी आता-जाता रहता था और मेरी बेटी को खिलाता था| मैंने टिंकू को अपने बेटी/पीडिता को ले जाने से नहीं रोका था, क्योंकि पहले भी वो मेरी बेटी को खिलाने के लिये आता था| **मेरी बेटी/पीडिता को अभियुक्त टिंकू करीब आधे घण्टे बाद वापस लेकर आया था**| अभियुक्त टिंकू मेरी बेटी को मेरी गोद में देकर भाग गया था, जब टिंकू ने मेरी लडकी को मेरी गोद में दिया तो उसका नैक्कर खून से सना था| **अभियुक्त टिंकू मेरी बेटी को अपने घर पर लेकर गया था, जहाँ उसने मेरी बेटी के साथ घटना घटित की थी**| टिंकू का मकान हमारे मकान से 2 मकान दूर है| मुझे नहीं पता की घटना के समय टिंकू के मकान पर कौन-कौन मौजूद था| टिंकू मेरी बेटी/पीडिता को मेरी गोद में देकर तुरंत ही भाग गया था| 112 नम्बर पर मेरे भाई अंकुर ने फोन किया था| फोन के तुरंत बाद 5 से 7 मिनट में ही पुलिस मौके पर आ गयी थी| 112 की पुलिस मुझे व मेरी बेटी/पीडिता को थाने पर लेकर गयी थी| मेरा भाई भी मेरे साथ था| खतौली अस्पताल पर डॉक्टरी होने के बाद हमे मेरठ रेफर कर दिया था| मेरठ में रात्रि के समय डॉक्टरी हुई थी, फिर उसका इलाज हमने प्राईवेट अस्पताल में भी कराया था| इस घटना के सम्बन्ध में मेरे अगले दिन दरोगा जी ने बयान लिये थे| दोरगा जी ने मेरे बयान मेरे माईके में ही आकर लिये थे, फिर दरोगा जी ने मेरा बयान न्यायालय मे भी कराया था| मैंने पूरी घटना मजिस्ट्रेट साहब को बता दी थी| यह बात सही है कि मैंने टिंकू को अपने लडकी/पीडिता के साथ बलात्कार करते हुए नही देखा था, लेकिन टिंकू जब मेरी लडकी को लेकर आया था तो टिंकू के कपडे भी खून मे सने थे| मेरी बेटी के खून से सने कपडे मेरठ वाले डाक्टर साहब ने ले लिये थे| जब टिंकू मेरी लडकी/पीडिता को बिस्कुट दिलाने के बहाने लेकर गया था, उस समय मेरा भाई अंकुर मौजूद था| यह कहना गलत है कि अभियुक्त ने मेरी लडकी/पीडिता के साथ कोई घटना कारित न की हो और आपसी रंजिश के कारण मैंने झूठा मुकदमा लिखाया हो| यह कहना गलत है कि मैं आज न्यायालय में गलत बयान दे रही हूँ|

30- वादिनी मुकदमा श्रीमती प्रियंका पत्नी मंजीत ने अपने बयान अन्तर्गत धारा 180 बी.एन.एस.एस. में कथन किया है कि *"मेरी शादी ग्राम खेडी सराय थाना मीरापुर जनपद मुजफ्फरनगर मे मंजीत पत्नी वेदपाल के साथ हुई थी|* ***दिनांक 09/03/2026 को मैं अपने मायके मोहिद्दीनपुर आई थी| कल दिनांक 12/03/2026 को समय करीब 1 बजे मेरी बेटी पीडिता जिसकी उम्र करीब डेढ वर्ष है|*** *मेरे ताऊ का लडका टिंकू उर्फ पिंकू पुत्र ईश्वर निवासी मोहिद्दीनपूर थाना खतौली जनपद मुजफ्फरनगर जिसकी उम्र करीब 30 वर्ष है, दुकान से विस्कुट दिलाने के लिए*

लेकर गया था। जब थोडी देर बाद टिंकू उर्फ पिंकू मेरी बेटी को वापस लेकर आया तो मेरी बेटी का नेकर खून से लथपथ था। मैंने नैकर उतार कर देखा तो उसके प्राईवेट पार्टस से खून आ रहा था और जब मैंने टिंकू से इसके बारे में पूछा तो वह घबरा कर भाग गया *उस समय टिंकू के कपडों पर भी खून लगा हुआ था जिसके बाद मैं व मेरे परिवार वाले मेरी बेटी को लेकर थाना खतौली गये थे, वहां से महिला पुलिस कर्मी सोनम के साथ मेरी बेटी का मेडिकल कराने सरकारी अस्पताल भोपा गये थे और भोपा से मेरी बेटी को जिला अस्पताल मु0 नगर रैफर कर दिया था और फिर जिला अस्पताल मु0 नगर से भी मेरी बेटी को मेडिकल कालेज मेरठ रैफर कर दिया था और वहा से मेरी बेटी का मेडिकल जिला महिला अस्पताल मेरठ में हुआ था उसके बाद मैं व मेरे परिजन बेटी को लेकर घर आये थे साहब अभी भी मेरी बेटी की तबियत ठीक नहीं है। साहब मेरी बेटी का पिन्टू उर्फ पिंकू पुत्र ईश्वर निवासी मोहिद्दीनपुर, थाना खतौली जनपद मुजफ्फरनगर ने बलात्कार किया है। साहब टिंकू उर्फ पिंकू को कड़ी से कड़ी सजा दिलायी जाये।"*

31- वादिनी मुकदमा ने अपने बयान अन्तर्गत धारा 183 बी.एन.एस.एस. में कथन किया हैकि *"मेरा नाम प्रियंका उम्र 24 वर्ष पत्नि मंजीत निवासी खेड़ी सराय थाना मीरापुर जिला मु0 नगर की हूँ। मैं 8 वी कक्षा तक पढ़ी हूँ। घटना की साक्ष्य द्वारा बताया गया कि* ***मेरी बेटी पीडिता उम्र 1.5 वर्ष दिनांक 12.03.2026 को मेरे साथ मायके में थी। दोपहर 01.30 बजे मेरे ताऊ का लड़का पिंकू उर्फ टिंकू पडोस के घर से आया और मुझे बोला कि मैं पीडिता को बिस्कुट दिलाने जा रहा हूँ, फिर वो बिस्कुट दिला कर पीडिता को अपने ले गया और आधे घंटे बाद पीडिता को लेकर। मैंने देखा कि पीडिता के भी कपडे नीचे से खून से सने थे और पिंकू के भी। पिंकू पीडिता को मुझे देकर खूद भाग गया।*** *इससे पहले मैं कुछ पूछती। फिर मेरे भाई ने पुलिस को फोन किया। फिर पुलिस आई और पिंकू को थोड़ी देर बाद पकड लिया और मेरी बेटी का मेडिकल परीक्षण कराया। मेरे पति बाहर रहते है।"*

32- इस प्रकार अभियोजन पक्ष की साक्षी पी0 डब्ल्यू0-2 श्री मती प्रिंयका,जो कि पीडिता की माता है तथा इस मामले की सबसे महत्वपूर्ण साक्षी है। इस साक्षी के बयान अन्तर्गत धारा 180 व 183 बी.एन्न.एस.एस. तथा न्यायालय के समक्ष अंकित कराये गये बयान में समानता एवं निरन्तरता विद्यमान है। बचाव पक्ष ने इस साक्षी से न्यायालय के समक्ष प्रतिपरीक्षण भी पूर्ण किया है, किन्तु बचाव पक्ष अपने सम्पूर्ण प्रतिपरीक्षण में ऐसा कोई तथ्य नहीं निकाल सका है जिससे कि इस साक्षी के साक्ष्य को अविश्वसनीय करार दिया जा सके या उसके साक्ष्य पर किसी

प्रकार का सन्देह उत्पन्न किया जा सके। इस परिप्रेक्ष्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की सम्मानित विधि व्यवस्था **ननकउन बनाम उ०प्र० राज्य (2016)3 एस.सी.सी. पेज-317 (पूर्ण पीठ)** के मामले में अवधारित किया गया है कि यदि साक्षी की साक्ष्य में निरन्तरता है तो ऐसे साक्षी की साक्ष्य को विश्वसनीय माना जाना चाहिए।

33- प्रस्तुत मामले के तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि इस साक्षी की साक्ष्य में तीनों स्तर पर निरन्तरता विद्यमान है। इतना ही नहीं इस साक्षी के साक्ष्य की सम्पुष्टि अन्य दस्तावेजी साक्ष्य से भी साबित है। अतः माननीय सर्वोच्च न्यायालय की उपरोक्त विधि व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में साक्षी पी0 डब्ल्यू0-2 का साक्ष्य पूर्ण रुप से विश्वसनीय है और साक्ष्य में ग्राह्य है।

34- अब यदि हम अभियोजन पक्ष की साक्षी पी0 डब्ल्यू0-2 के साक्ष्य के मुख्य तथ्य के परिप्रेक्ष्य में विचार करे तो यह साक्षी अपने साक्ष्य में इस तथ्य की पुष्टि करती है कि अभियुक्त जोकि उसके रिश्ते के ताऊ का लडका है, वह पीडिता को विस्कुट दिलाने के बहाने 12.03.2026 को दोपहर के एक बजे ले गया था और जब थोड़ी देर बाद उसकी लडकी को लेकर आया तो उसकी लडकी का नैकर खून से भिगा हुआ था, जब इस साक्षी से पूछताछ की तो अभियुक्त वहां से तुरन्त भाग गया। इस साक्षी ने इस तथ्य को भी स्पष्ट किया है कि उसने अभियुक्त के हाथ पर भी पीडिता का खून लगा हुआ देखा था। इस प्रकार इस साक्षी के साक्ष्य से यह तथ्य पूरी तरह से साबित होता है कि घटना के समय पीडिता को अभियुक्त ही लेकर गया था और उसके साथ घटना कारित करने के उपरान्त अभियुक्त ही उसे वापस लेकर आया था। अर्थात इस साक्षी के साक्ष्य से पीडिता को लेकर जाने व वापस लाने का तथ्य साबित होता है। साक्षी पी0 डब्ल्यू0-2 के साक्ष्य से इस तथ्य की भी पुष्टि होती है कि पीडिता के साथ अभियुक्त के द्वारा दुष्कर्म कारित किया गया है, क्योंकि इस साक्षी ने पीडिता के नैकर को खून से सना हुआ देखा है और पीडिता के प्राइवेट पार्ट से रक्त स्राव होते हुए देखा है। जिससे इस साक्षी के साक्ष्य से यह तथ्य स्पष्ट हुआ कि पीडिता के साथ दुष्कर्म हुआ है। साक्षी पी0 डब्ल्यू0-2 के साक्ष्य की सम्पुष्टि चिकित्सीय साक्ष्य से भी हो रही है जिसका विवेचन आगे निर्णय में किया जायेगा। अतः इस साक्षी के साक्ष्य से पीडिता के साथ दुष्कर्म होने का तथ्य भी साबित होता है। साक्षी पी0 डब्ल्यू0-2 के साक्ष्य से इस तथ्य की भी पुष्टि होती है कि पीडिता के साथ घटना घटित होने के उपरान्त पुलिस को बुलाया गया तथा वादिनी ने अपने भाई से तहरीर लिखाकर थाने पर दी जिसके संबंध में थाने पर अभियोग पंजीकृत हुआ। वादिनी के इस साक्ष्य की पुष्टि अभियोजन पक्ष के साक्षी पी0 डब्ल्यू0-1 व पी0 डब्ल्यू0-3 ने भी की है। अतः यह तथ्य भी

साबित है कि पीडिता के द्वारा थाने पर तहरीर देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया है| इसके उपरान्त पीडिता के द्वारा अपनी पुत्री पीडिता का चिकित्सकीय परीक्षण भोपा सी.एच.सी. पर कराया और उसके बाद पीडिता का चिकित्सकीय परीक्षण मेरठ सरकारी अस्पताल में कराया गया है| इस साक्षी के साक्ष्य से यह तथ्य भी साबित है कि पीडिता का चिकित्सकीय परीक्षण कराया गया है| इस साक्षी पी0 डब्ल्यू0-2 पीड़िता की माता/वादिनी मुकदमा के द्वारा अपने बयान अन्तर्गत धारा-180 व 183 बी.एन.एस.एस. के साक्ष्य से भी इस तथ्य की पुष्टि की है कि वादिनी मुकदमा अपने मायके में थी और दिनांक 12.03.2026 को समय दोपहर 01.30 बजे उसके ताऊ का लडका/अभियुक्त टिंकू उर्फ पिंकू पीडिता को वादिनी मुकदमा से यह बोलकर ले गया कि वह पीडिता को दुकान से विस्कुट दिलाने जा रहा है| थोडी देर बाद टिंकू उर्फ पिंकू उसकी बेटी/पीडिता को वापस लेकर आया तो उसकी बेटी/पीडिता का नेकर खून से लथपथ था| उसने नैकर उतार कर देखा तो उसके प्राईवेट पार्टस से खून आ रहा था और जब उसने टिंकू से इसके बारे में पूछा तो वह घबरा कर भाग गया| अतः अभियुक्त ने पीडिता को वादिनी मुकदमा के घर से ले जाकर उसके साथ जबरदस्ती बलात्कार किया|

35- इस प्रकार अभियोजन पक्ष की साक्षी **पी0 डब्ल्यू0-2**, जो प्रस्तुत मामले की वादिनी है और इस मामले की महत्वपूर्ण साक्षी है| इस साक्षी ने अपने मुख्य परीक्षण में इस तथ्य को साबित किया है कि अभियुक्त टिंकू ने उसकी पुत्री पीडिता के साथ दुष्कर्म कारित किया है| पीडिता से जब बचाव पक्ष के द्वारा प्रतिपरीक्षण किया गया तो उक्त साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में भी मुख्य परीक्षण का पूर्ण रूपेण समर्थन किया है|

36- **अब यदि हम अभियोजन पक्ष** की ओर से प्रस्तुत किये गये अन्य साक्ष्य को देखे तो अभियोजन पक्ष की ओर से वादिनी मुकदमा के भाई को साक्षी **पी0 डब्ल्यू0-3** के रूप में परीक्षित कराया गया है, जिसने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि ***"दिनांक 12.03.2026 को मैं दोपहर के समय अपने घर पर मौजूद था, मेरी बहन दिनांक 10.03.2026 को हमारे घर को आ गयी थी, मेरे सामने समय लगभग दोपहर 1 बजे टिंकू मेरी भांजी/पीडिता को बिस्किट दिलाने के बहाने से घर से लेकर गया था, लगभग आधे घण्टे बाद उसको वापस लेकर आया था, तो मेरी भांजी के कपडे खून से सने हुए थे तथा टिंकू के कपडो व हाथ पर खून लगा था|*** *मेरी बहन ने टिंकू से पूछा तो वह तुरंत ही वहाँ से भाग गया, मैंने अपनी भांजी को देखा तो उसके कपड़े खून से सने थे| टिंकू ने मेरी भांजी को अपने घर ले जाकर उसके साथ बलात्कार किया है|* ***मैंने तुरंत 112 पर***

फोन किया था, जिसका नम्बर पी12032611316 है। कुछ देर बाद पुलिस आ गयी , मेरी बहन व मैंने पुलिस को सारी बात बतायी, फिर पुलिस मुझे, मेरी बहन व पीडिता को थाने पर लेकर गयी, थाने पर मैंने अपनी बहन के बोलने पर एक प्रार्थना-पत्र लिखा था और उसे पढकर सुनाया था और फिर उस प्रार्थना-पत्र पर प्रियंका ने अपने हस्ताक्षर करे थे, गवाह ने प्रदर्श क 3 को देखकर कहा कि यह प्रार्थना पत्र मेरे हस्तलेख मे है जिसकी मैं तस्दीक करता हूँ, यही प्रार्थना पत्र हमने थाने पर दिया था। *जब मेरी भांजी को पुलिस डाक्टरी के लिये सीएचसी भोपा लेकर गयी थी तो मैं भी उसके साथ गया था वहाँ से उसे मेरठ रेफर कर दिया था, मैं व अन्य परिवार वाले भी मेरठ साथ गये थे, जहाँ पर मेरी भांजी का डाक्टरी हुई थी व ईलाज हुआ था। दरोगा जी ने इस सम्बन्ध में मेरे बयान दिनांक 27.03.2026 मे लिये थे, मैंने उन्हे सारी बात बता दी थी।"*

37- **साक्षी पी0 डब्ल्यू0-3, जो वादिनी मुकदमा का भाई है, ने अपने प्रतिपरीक्षण** में कथन किया है कि *"मैं प्रोपर्टी डीलिगं का काम करता हूँ। मैं खतौली में ही काम करता हूँ। हमारे गांव से जानसठ 12 कि0 मी0 दूर है।* ***कथित घटना दिनांक 12.03.2026 को लगभग समय 1 बजे की है। घटना वाले दिन मैं पुरे दिन घर पर ही था।*** *यह बात सही है कि जब मैं अपनी बहन के पास आया था तब वहां पर टिकूं मौजूद नहीं था और मैंने उस दिन टिकूं को देखा भी नहीं था। यह बात सही है कि मुझे मेरी भांजी के साथ हुई घटना के बारे में मेरी बहन ने मुझे कुछ नहीं बताया था, क्योंकि मैं घटना वाले दिन वहीं पर मौजूद था। मेरी भांजी को टिंकू लेकर गया था यह बात मुझे मेरी बहन ने नहीं बतायी थी।* ***मैं वहां मौजूद था। मैंने टिंकू को ले जाते हुये देखा था।*** *मुझे मेरी बहन ने फोन करके नहीं बुलाया था और न ही किसी ओर ने मुझे फोन किया था। मैंने अपनी भांजी के साथ बालात्कार होते हुये नहीं देखा था। मेरी भांजी आधे घण्टे के बाद वापस आ गयी थी। मैंने अपनी भांजी की ऐसी हालत देखने के बाद अस्पताल नहीं लेकर गया था।* ***112 पर कॉल करके पुलिस को बुलाया था।*** *पुलिस को आने में लगभग 20-25 मिनट लगी थी। हमारे घर से थाना 3 कि0 मी0 की दूरी पर है।* ***टिंकू हमारा पड़ोसी है इस नाते से हम टिंकू के पिता जी को ताऊ कहते है।*** *घटना से पहले भी टिंकू मेरी भांजी को बाहर खिलाने के लिए अपने साथ लेकर जाता था। टिंकू की दिमागी हालत सही है। पहले टिंकू जब मेरी भांजी को लेकर जाता था तो उसे चीज दिलवाकर तुरन्त वापस आ जाता था। जब पुलिस आयी तो हम 10-15 मिनट बाद थाने पर गये थे। वहीं पर तहरीर लिखकर दे दी थी। पीड़िता होश में थी।* ***थाने जाने से पहले हमने पीड़िता को रास्ते में डॉक्टर को दिखाया था,*** *डॉक्टर ने दवाई दे दी थी। जो हमने पीड़िता को खिला दी थी। पुलिस वालो ने मुकदमा दर्ज होने*

बाद एफ0 आई0 आर0 की प्रति उस दिन नहीं दी थी। दरोगा जी ने मेरा बयान 27 तारिख को लिया था। दरोगा जी बयान लेने घर पर आये थे। ***मेरा धारा 180 बी0 एन0 एस0 एस0 के बयान में यह बात कि दिनांक 12.03.2026 को दोपहर करीब 1 बजे मुझे सूचना मिली की टिंकू उर्फ पिंकू ने मेरी भांजी के साथ गलत काम किया है।*** *मैं तुरन्त घर आया तो घर पर काफी लोग इक्कठा थे। यह बात सही है कि मैंने दरोगा जी को अपने बयानों में यह भी बताया था कि टिंकू मेरी भांजी को लेकर गया था यह बात मुझे मेरी बहन प्रियंका ने बतायी थी। मैंने 27 तारिख को जो दरोगा जी को बयान दिये थे वह सही नहीं थे जो आज मैं न्यायालय में बयान दे रहा हूँ वह सही है। मैं घर पर ही मौजूद था। मुझे किसी फोन करके नहीं बुलाया था। हमने पीड़िता को जिस डॉक्टर से रास्ते में दवाई दिलवायी थी। मैं उस डॉक्टर का नाम नहीं बता सकता। मैं सैनी मेडिकल स्टोर से दवाई लेकर आया था। यह बात मैंने दरोगा जी को नहीं बतायी थी, क्योंकि दरोगा जी ने नहीं पूछा था। यह कहना गलत है कि न तो मैं घर पर मौजूद हूँ। यह कहना गलत है कि मैं घटना वाले दिन खतौली में मौजूद हूॅं। यह बात सही है कि मेरी भांजी के साथ बलात्कार करते हुये गांव के किसी व्यक्ति ने नहीं देखा और न ही मुझे पता कि टिंकू ने किस स्थान पर मेरी भांजी के साथ बलात्कार किया। यह कहना गलत है कि मैं अपनी बहन के कहने पर मुल्जिम टिंकू को झूठा फसां रहा हूँ तथा आज मैं न्यायालय में सही बात न बता रहा हूँ। यह कहना गलत है कि मेरी भांजी को सीढ़ियो से गिरने पर चोट आयी हो।"*

38- इस प्रकार अभियोजन पक्ष की साक्षी **पी0 डब्ल्यू0-3**, जो प्रस्तुत मामले की पीडिता का भाई है और इस मामले का स्वतंत्र साक्षी है। इस साक्षी ने अपने मुख्य परीक्षण में इस तथ्य को साबित किया है कि अभियुक्त ने उसकी भांजी पीडिता के साथ दुष्कर्म कारित किया है। पीडिता से जब बचाव पक्ष के द्वारा प्रतिपरीक्षण किया गया तो उक्त साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में मुख्य परीक्षण का पूर्ण रूपेण समर्थन किया है। इस प्रकार अभियोजन पक्ष के साक्षी पी0 डब्ल्यू0-3, जो पीडिता का मामा है और वादिनी मुकदमा का भाई है, के उपरोक्त मुख्य परीक्षण व प्रतिपरीक्षण के अवलोकन से विदित होता है कि इस साक्षी के द्वारा घटना की सर्वप्रथम सूचना पुलिस को 112 पर फोन करके दी गयी और इसकी सूचना के आधार पर पुलिस मौके पर पहुँची। इस साक्षी ने पीडिता के इस कथन की भी पुष्टि की है कि इस साक्षी के द्वारा घटना की तहरीर थाने पर दी थी। इस साक्षी ने तहरीर अपने लेख में होने के तथ्य की पुष्टि की है। इतना ही नहीं इस साक्षी ने अपने साक्ष्य मे इस बात की भी पुष्टि की है कि घटना के समय वह वहां पर मौजूद था और अभियुक्त इसके सामने

पीडिता को लेकर आया था| इस साक्षी ने पीडिता को सर्वप्रथम चिकित्सकीय परीक्षण हेतु पुलिस कां.सोनम के साथ प्रस्तुत किया था, जहां पर पीडिता का प्राथिमकी चिकित्सकीय परीक्षण हुआ था| बचाव पक्ष के इस साक्षी से विस्तृत प्रतिपरीक्षण किया गया है, किन्तु इस साक्षी के सम्पूर्ण प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष मुख्य परीक्षण के सापेक्ष कोई ऐसा तथ्य नहीं निकाल सका है जिससे कि इस साक्षी के साक्ष्य को अविश्वसनीय करार दिया जा सके या मुख्य परीक्षण के किसी कथन को सन्देहास्पद बना सके| यद्यपि यह तथ्य उल्लेखनीय है कि इस साक्षी के बयान अन्तर्गत धारा 180 बी.एन.एस.एस. न्यायालय में दिये गये बयान के सापेक्ष कुछ सीमा तक विरोधाभासी है, परन्तु विरोधाभास इस सीमा तक नहीं है कि साक्षी के सम्पूर्ण साक्ष्य को नकारा जा सके| अतः निष्कर्ष तौर पर यह कहा जा सकता है कि यह साक्षी विश्वसनीय साक्षी है और इस साक्षी के साक्ष्य से पीडित के साथ घटना घटित होने की पुष्टि होती है|

39- **अब यदि हम अभियोजन पक्ष** की ओर से प्रस्तुत किये गये तथ्य के अन्य साक्षीगण के साक्ष्य को देखे तो अभियोजन पक्ष की ओर से वादिनी मुकदमा के पति मंजीत कुमार को साक्षी **पी0 डब्ल्यू0-4** के रूप में परीक्षित कराया गया है| उक्त साक्षी ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि *"मेरी पत्नी दिनांक 10.03.2026 को मायके आ गयी थी, दिनांक 12.03.2026 को दोपहर लगभग 1 बजे मेरी पुत्री/पीडिता को टिंकू दुकान पर बिस्कुट दिलाने के बहाने अपने घर ले जाकर मेरी पुत्री के साथ बलात्कार किया था| मेरी लड़की के प्राइवेट पार्ट से खून आ रहा था| टिंकू के हाथ व कपड़ो से खून लगा था| मेरी पत्नी ने टिंकू से इस बारे में पूछा तो वह वहां से भाग गया था| यह सारी बात मुझे मेरी पत्नी ने फोन पर घटना वाले दिन ही बता दी थी|* ***मैं दिल्ली से सीधा मेरठ अस्पताल में आ गया था| जहां पर मेरी लड़की की डॉक्टरी हुयी थी|*** *इस सम्बन्ध में दरोगा जी ने मेरे बयान लिये थे| मैंने उन्हें सारी बात बता दी थी|* *<u>बाद में मुझे पता लगा था कि टिंकू मेरी लड़की को बिस्किट दिलाने के बहाने अपने घर ले जाकर उसके साथ बलात्कार किया था</u>|* ***मेरी बेटी की जन्म तिथि 09.09.2024 है| मैंने उसका बर्थ सर्टिफिकेट बनबाया था और दरोगा जी दे दिया था|"***

40- **साक्षी पी0 डब्ल्यू0-4 मंजीत कुमार, जो पीडिता** का पिता है, ने अपने प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि *"मेरी प्रियंका के साथ शादी दिनांक 28.06.2020 को हुयी थी| मेरे दो बच्चे है| पीड़िता दूसरे नम्बर की बच्ची है| पीड़िता की जन्म तिथि 09.09.2024 है| मैं घटने वाले दिन दिल्ली में था| मेरी पत्नी ने मुझे फोन पर घटना की सूचना दी थी| मेरी पत्नी ने मुझे लगभग डेड़ दो बजे फोन किया था| उसी दिन मुझे फोन कर दिया था| मेरी पत्नी ने मुझे फोन पर बताया था कि ताऊ*

का लड़का टिंकू पीड़िता को बिस्किट दिलाने के बहाने से दुकान पर लेकर गया था और लगभग आधा घण्टे बाद वापस आया तो मेरी बेटी पीड़िता के कपड़े खून से भीगे थे और टिंकू के हाथ से भी खून लगा था। और टिंकू से पूछा तो वह वहां से भाग गया था। मैं सूचना मिलने के बाद दिल्ली से सीधा मेरठ अस्पताल में पहुचं गया था। मैं लगभग शाम के समय अस्पताल पहुचं गया था समय मेरे याद नहीं है। टिंकू को मैं जानता हूँ वह मेरी ससुराल के पास ही रहता है। मेरे सास व ससुर की टिंकू व उसके परिवार से कोई रंजिश नहीं है। घटना दिनांक 12.03.2026 की है तथा समय लगभग 1 बजे का है। ***यह बात सही है कि मैंने घटना स्वयं नहीं देखी मेरी पत्नी ने मुझे घटना के बारे में सूचना दी थी।*** *मैंने टिंकू को अपनी पुत्री पीड़िता के साथ बलात्कार करते हुये नहीं देखा था। घटना के सम्बन्ध में दरोगा जी ने मेरे बयान अगले दिन लिये थे। दरोगा जी को मैंने सारी बाते बतायी थी। जब मैं अपनी ससुराल में था तो दरोगा जी घर पर ही आये थे और मेरे बयान लिये थे। मेरठ से डॉक्टरी व इलाज होने के उपरान्त मैंने अपनी बेटी का इलाज खतौली में प्राइवेट अस्पताल में कराया था अस्पताल का नाम मुझे याद नहीं है। यह कहना गलत है कि टिंकू ने मेरी बेटी पीड़िता के साथ कोई घटना कारित न की हो और रजिंश के आधार पर मेरी पत्नी ने झूठा मुकदमा लिखा दिया हो। यह बात सही है कि कथित घटना वाले दिन मैं अपनी ससुराल में नहीं था बल्कि दिल्ली में था। यह कहना गलत है कि मैं आज न्यायालय में सही बात न बता रहा हूँ और विधिक राय के आधार पर अपने बयान दे रहा हूँ।"*

41- इस प्रकार अभियोजन पक्ष का साक्षी **पी0 डब्ल्यू0-4 मंजीत कुमार**, जो प्रस्तुत मामले की पीडिता का पिता है। इस साक्षी ने अपने मुख्य परीक्षण में इस तथ्य को साबित किया है कि अभियुक्त ने उसकी पुत्री पीडिता के साथ दुष्कर्म कारित किया है। पीडिता से जब बचाव पक्ष के द्वारा प्रतिपरीक्षण किया गया तो उक्त साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में मुख्य परीक्षण का पूर्ण रूपेण समर्थन किया है। इस साक्षी के द्वारा इस बात की पुष्टि की है कि उसे उसकी पत्नी ने फोन पर घटना वाले दिन ही बता दी थी कि अभियुक्त दिनांक 12.03.2026 को दोपहर लगभग 1 बजे उसकी पुत्री/पीडिता को दुकान पर बिस्कुट दिलाने के बहाने अपने घर ले जाकर उसकी पुत्री के साथ बलात्कार किया था। इस साक्षी के द्वारा अपने साक्ष्य में इस तथ्य की भी पुष्टि की है कि वह दिल्ली से सीधा मेरठ अस्पताल में आ गया था और उसने अपनी लडकी/पीडिता का सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भोपा में प्राथमिक चिकित्सय परीक्षण कराया था। इस साक्षी के साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि यह साक्षी घटना का चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है, बल्कि अनुश्रुत साक्षी है।

विशेष न्यायाधीश(पोक्सो एक्ट)/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
मुजफ्फरनगर

42- पीडिता के साथ घटना घटित होने के उपरान्त पीडिता की माता के द्वारा सर्वप्रथम पीडिता को चिकित्सकीय परीक्षण हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भोपा पर प्रस्तुत किया गया। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भोपा पर बनवायी गयी पर्ची के अनुसार पीडिता को दिनांक 12.03.2026 को समय 05.08 पी.एम. पर चिकित्सकीय परीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया, जिसे कां. 753 सोनम लेकर पहुँची थी। उक्त प्रपत्र को अभियोजन पक्ष की साक्षी पी0 डब्ल्यू0-5 के द्वारा **प्रदर्श क-5** के रूप में सही होना साबित किया है। इसके अतिरिक्त अभियोजन पक्ष के द्वारा सी.एच.सी. भोपा पर पीडिता के मेडिकोलीगल एग्जामिनेशन की रिपोर्ट भी कागज सं0-9 क/2 के रूप में पत्रावली पर सलंग्न है जिसे अभियोजन पक्ष के साक्षी पी0 डब्ल्यू0-7 के द्वारा प्रदर्श क-12 के रूप में सही होना साबित किया है। उक्त प्रपत्र के अवलोकन से विदित होता है कि पीडिता उम्र डेढ वर्ष को दिनांक 12.03.2026 को समय 05.08 पर चिकित्सकीय परीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया था, जहां पर चिकित्सक के द्वारा पीडिता के हाईमन को फटा होना और जननांगों से रक्त स्राव होना दर्शित किया तथा पीडिता को जिला महिला चिकित्सालय के स्त्री रोग विशेषज्ञ के द्वारा परीक्षण हेतु एवं पीडिता के साथ लैंगिक हमला हुआ है, की जाँच हेतु पीडिता को जिला महिला चिकित्सालय रेफर किया गया है।

43- **अभियोजन पक्ष के द्वारा साक्षी पी0 डब्ल्यू0-7 डॉ. यशस्वी जैन** के द्वारा अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि *"दिनांक 12.03.2026 को वह बतौर मेडिकल ओफिसर के पद पर सीएचसी भोपा पर कार्यरत थी, **इसी दिन समय करीब 5.08 बजे महिला कांस्टेबल 753 सोनम थाना खतौली पीडिता को उसके पास मेडिकल परीक्षण कराने हेतु लेकर आयी थी**। उसके द्वारा पीडिता का मेडिकल परीक्षण किया गया था व पीडिता का निशानी अंगूठा भी लिया गया था व महिला कांस्टेबल सोनम के हस्ताक्षर कराये गये थे। पीडिता के बाह्य परीक्षण में कोई चोट नहीं थी, **पीडिता के आंतरिक परीक्षण के दौरान पीडिता का हाईमन फटा हुआ था व पीडिता के योनि से ब्लीडिंग आयी हुई थी। मेरे द्वारा पीडिता को जिला महिला चिकित्सालय मुजफ्फरनगर मे आंतरिक परीक्षण हेतु रेफर किया गया था,** पत्रावली पर मौजूद कागज सं0 9 क/2 पीडिता का मेडिकल रिपोर्ट पर अपने लेख व हस्ताक्षर की शिनाख्त की जिस पर **प्रदर्श क 12** डाला गया।"*

44- इस प्रकार अभियोजन पक्ष साक्षी **पी0 डब्ल्यू0-7** ने पीडिता के साथ प्राथमिक चिकित्सीय परीक्षण में लैंगिक हमला होने के तथ्य की पुष्टि की है और पीडिता को हॉयर सेण्टर रेफर किया गया, जहां वादिनी पी0 डब्ल्यू0-2 के द्वारा अपने बयान में यह बताया है कि पीडिता का

प्राथमिक चिकित्सीय परीक्षण खतौली में हुआ| ऐसा प्रतीत होता है कि साक्षी पी0 डब्ल्यू0-2 ने सहवन त्रुटिवश सी.एच.सी. भोपा के स्थान पर खतौली बता दिया है, जबकि पी0 डब्ल्यू0-7 के अनुसार पीडिता का प्राथमिक परीक्षण सी.एच.सी. भोपा पर हुआ है|

45- अभियोजन की ओर से पीडिता को चिकित्सकीय परीक्षण हेतु सददार बल्लभभाई पटेल हॉस्पिटल एसोशिएटेड को एलएलआरएम मेडिकल कॉलेज मेरठ के लिए रेफर किया गया है, जहां पर चिकित्सक द्वारा पीडिता का मेडिकल परीक्षण किया गया जिसे प्रदर्श क-6 के रूप में साक्षी पी0 डब्ल्यू0-5 के द्वारा साबित किया गया है| अभियोजन साक्षी पी0 डब्ल्यू0-5 डॉ. सना फातिमा हाल तैनाती जिला महिला चिकित्सालय जनपद मेरठ द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 12.03.2026 को मैं जिला महिला चिकित्सालय मेरठ में बतौर चिकित्साधिकारी तैनात थी| 12/13-03-2026 को रात्रि समय 1:21 बजे पीड़िता पुत्री मंजीत को चिकित्सय परीक्षण के लिए महीला कॉ0 753 सोनम लेकर आयी थी| साथ में मेरठ मेडिकल कॉलेज की रेफर स्लिप व पी0 एच 0 सी0 केन्द्र भोपा की रेफर स्लिप लेकर आयी थी| पीड़िता के साथ उसकी माता प्रियंका व पिता मंजीत साथ आये थे| उनकी सहमति लेने के उपरान्त मैंने पीड़िता का चिकित्सय परीक्षण किया था| पीड़िता के दोनों हाथों में निशान एम 0 एल 0 आर 0 पर लगवाये थे| पीड़िता की माता ने घटना के बारे में जैसे जैसे बताया था मैंने वैसे लिखकर उसके माता व पिता के हस्ताक्षर कराये थे| पीड़िता के शरीर पर कोई बाहरी चोट नहीं थी| पीड़िता के नेकर खुन से सना हुआ था| आन्तरिक चिकित्सय परीक्षण के दौरान निम्न चोटें मौजुद थी| **चोट नं0 1 हाइमन ताजा फटी हुयी 6'O clock पोजिशन पर पायी गयी| जिसमें से ताजा खुन का रिसाव हो रहा था| चोट नं0 2 हल्की सूजन लालीमा के साथ दायीं एवं वायीं ओर की लेबिया मेजोरा एवं लेबिया माइनोरा पर पायी गयी|** चिकित्सय परीक्षण के समय पीड़िता का खून से सना नेकर वलवल स्वैव वैजानाइल स्वैव (Anterior एवं Posterior) एवं पीड़िता का ब्लड एवं वैजानाइल स्मियर स्लाइड एकत्रित करके डी0 एन 0 ए 0 परीक्षण के लिए साथ आयी महिला कांस्टेबल सोनम को दे दिया गया था| चिकित्सय परीक्षण रिपोर्ट मेरे द्वारा तैयार की गयी थी| जिस पर मेरे हस्ताक्षर है, जिसे मैं तस्दीक करती हूॅ| मेरठ मेडिकल की रेफर स्लिप जिस पर मेरे हस्ताक्षर है तथा सी0 एच 0 सी0 भोपा की रेफर स्लिप जो महीला कॉ0 परीक्षण के समय साथ लेकर आयी थी जिसे तस्दीक करती हूॅ| सी0 एच 0 सी0 भोपा रेफर स्लिप पर **प्रदर्श क 5** डाला गया| मेरठ मेडिकल की

रेफर स्लिप पर **प्रदर्श क 6** डाला गया| एम 0 एल 0 आर 0 पर **प्रदर्श क 7** डाला गया| चिकित्सय राय के अनुसार बल पूर्वक योनि सम्भोग के सुझावात्मक सकेंत पाये गये| मेडिकल परीक्षण करने के बाद मेरे द्वारा पीड़िता को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज मेरठ रेफर किया गया| रेफर स्लिप की छाया प्रति पत्रावली में शामिल है जिस पर मेरे हस्ताक्षर है जिसे मैं तस्दीक करती हॅू| जिस पर **प्रदर्श क 8** डाला गया| जब मेरे द्वारा पीड़िता का चिकित्सकीय परीक्षण किया गया था तो पीड़िता को आयी हुयी हाल की चोटें लगभग 12 घण्टें के अन्दर की होना सम्भव है|

46- इस प्रकार अभियोजन पक्ष की साक्षी **पी0 डब्ल्यू0-6** के द्वारा न्यायालय के समक्ष इस तथ्य का सही होना साबित किया है कि पीडिता को महिला कां. सोनम के द्वारा दिनांक 12/13.03.2026 को 01.21 बजे रात्रि लेकर आयी थी और साथ में पी.एच.सी. केन्द्र भोपा व मेरठ मेडिकल कॉलेज की रेफर स्लिप लेकर आयी थी जिसे इस साक्षी के द्वारा क्रमशः प्रदर्श क-5 व प्रदर्श क-7 के रुप में साबित किया है और उक्त साक्षी पी0 डब्ल्यू0-5 के द्वारा पीडिता के किये गये आन्तरिक परीक्षण में हाईमन का फटा होना व ताजा रक्त स्राव होना व पीडिता के लेबिया मेजोरा व लेबिया माइनोरा पर हल्की सूजन पाये जाने की पुष्टि की है| इस साक्षी के द्वारा चिकित्सय परीक्षण के समय पीड़िता का खून से सना नैकर वलवल स्वैव वैजानाइल स्वैव (Anterior एवं Posterior) एवं पीड़िता का ब्लड एवं वैजानाइल स्मियर स्लाइड एकत्रित करके डी0 एन 0 ए 0 परीक्षण के लिए साथ आयी महिला कांस्टेबल सोनम को दे दिया गया था| चिकित्सय परीक्षण रिपोर्ट उसके द्वारा तैयार की गयी थी| मेडिकल परीक्षण करने के बाद साक्षी के द्वारा पीडिता को इलाज के इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज मेरठ रेफर किया गया| रेफर स्लिप को इस साक्षी के द्वारा प्रदर्श क-8 के रुप में साबित किया है| इस प्रकार इस साक्षी के मौखिक साक्ष्य एवं दस्तावेजी साक्ष्य से पीडिता का जिला महिला चिकित्सालय मेरठ में चिकित्सकीय परीक्षण किया जाना सही साबित होता है|

47- अभियोजन की ओर से प्रस्तुत मामले में **विवेचक** को **साक्षी पी0 डब्ल्यू0-6** के रुप में परीक्षित कराया गया है, जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि *"दिनांक 12.03.2026 को मैं बतौर उपनिरीक्षक थाना खतौली पर कार्यरत था| इसी दिन वादिया/पीडिता की माता की तहरीर के आधार पर थाना खतौली पर अ 0 सं0 69/2026 अन्तर्गत धारा 65(2)बी0 एन 0 एस 0 व 5(एम/एन)/6 पॉक्सो एक्ट बनाम पिंकू कायम हुआ था, मेरे द्वारा मुकदमा उपरोक्त की विवेचना इसी दिन ग्रहण की गयी थी व इसी दिन सीडी का पर्चा नं0 1 किता किया गया था, जिसमें नकल*

चिक, नकल रपट, व बयान एफ0 आई0 आर0 लेखक 1546 रजनी अंकित किये गये, दौरान विवेचना यह भी प्रकाश में आया था कि अभियुक्त के दो नाम है, टिंकू व पिंकू, इसलिए मुकदमा उपरोक्त की अग्रिम विवेचना दोनों नामों को ध्यान मे रखकर संपादित की जायेगी व मेरे द्वारा इसी दिन वादिया व पीडिता के सम्बन्ध मे वादिया के पिता नीटू से जानकारी की गयी तो बताया गया की पीडिता व वादिया मेडिकल कराने हेतु गये हुए है। इसी दिन मेरे द्वारा अभियुक्त टिंकू उर्फ पिंकू की गिरफ्तारी की गयी एवं गिरफ्तारी प्रपत्र तैयार किया गया, जो पत्रावली पर छायाप्रति के रूप में संलग्न है। अभियुक्त पिंकू उर्फ टिंकू से एक अदद तमंचा 315 बोर, 1 जिंदा कारतूस 315 बोर, 1 अदद खोका कारतूस 315 बोर बरामद हुआ था। अभियुक्त के द्वारा पुलिस पर जान से मारने की नियत से फायर किया गया था जिसके सम्बन्ध में थाना खतौली पर मेरे द्वारा मुकदमा पंजीकृत कराया गया था एवं मेरे द्वारा फर्द बरामदगी तैयार की गयी थी एवं अभियुक्त टिंकू उर्फ पिंकू को ईलाज हेतु सीएचसी खतौली भेजा गया था। दिनांक 13.03.2026 को सीडी का पर्चा नं0 2 किता किया गया था जिसमे मेरे द्वारा बयान वादिया श्रीमति प्रियंका अंकित किये गये , जिसमें वादिया के द्वारा घटना का समर्थन किया गया था। इसी दिन मेरे द्वारा वादिया की निशानदेही पर घटना स्थल का निरीक्षण किया गया एवं नक्शा नजरी तैयार की गयी, पत्रावली पर मौजूद नक्शा नजरी को देखकर कहा कि यह ***वही नक्शा-नजरी है, जो मेरे द्वारा वादिया की निशान देही पर बनायी गयी थी, जो मेरे लेख व हस्ताक्षर मे है। मै अपने लेख व हस्ताक्षर की शिनाख्त करता हूँ*** *जिस पर* ***प्रदर्श क 9*** *डाला गया। उसी दिन मुझे थाना कार्यालय से मुकदमा उपरोक्त से संबंधित पीडिता के मेडिकल रिपोर्ट प्राप्त हुई जिनका अवलोकन कर संलग्न सी0 डी0 की गयी एवं इसी दिन मेरे द्वारा उपरोक्त मुकदमे में नामित अभियुक्त टिंकू उर्फ पिंकू के बयान अंकित किये गये, जिसमें अभियुक्त के द्वारा स्वीकार किया गया था कि वादिया प्रियंका की बेटी के साथ अभियुक्त के द्वारा बलात्कार किया गया है। दिनांक 24.03.2026 को सीडी का पर्चा नं0 3 किता किया गया था जिसमें मुकदमा उपरोक्त में पीडिता के पिता मंजीत कुमार के बयान अंकित किये गये व मुकदमा उपरोक्त के वादिया के द्वारा पीडिता के जन्म-प्रमाण पत्र की छायाप्रति प्राप्त हुई, जिसमें पीडिता की जन्मतिथि 09.09.2024 अंकित पायी गयी, जिसका अवलोकन किया गया व संलग्न सीडी किया गया। इसी दिन महिला कांस्टेबल अर्चना द्वारा पीडिता से उसका नाम पूछा गया तो पीडिता अपना नाम नहीं बता पायी, क्योंकि पीडिता की उम्र लगभग डेढ वर्ष थी। पीडिता मम्मी पापा शब्द के अलावा अन्य कुछ नहीं बोल पा रही थी इसलिए पीडिता के धारा 180 बीएनएसएस के बयान अंकित नहीं किये*

गये, पीडिता की माता प्रियंका के द्वारा बताया गया की मेरी बेटी अभी कुछ बोल नही पाती केवल मम्मी पापा ही बोल पाती है। दिनांक 27.03.2026 को मेरे द्वारा सीडी का पर्चा नं0 4 किता किया गया जिसमें मुझ विवेचक को थाना कार्यालय से मुकदमा उपरोक्त से संबंधित माल जमा रसीद प्राप्त हुई जिसका अवलोकन कर संलग्न सीडी की गयी व इसी दिन मेरे द्वारा पीडिता की नानी श्रीमती लता देवी के बयान अंकित किये गये जिसके द्वारा घटना का समर्थन किया गया था तथा इसी दिन बयान गवाह नीटू पुत्र फुलसिंह व अंकुर पुत्र नीटू के बयान अंकित किये गये दोनों गवाहान ने घटना का समर्थन किया व गवाह अंकुर के द्वारा यह भी बताया गया मेरे द्वारा 112 नम्बर पर कॉल की गयी थी जिसके तुरंत बाद ही पुलिस आ गयी थी। दिनांक 03.04.2026 को सीडी का पर्चा नं0 5 किता किया गया था जिसमे मेरे द्वारा मुकदमा उपरोक्त की पीडिता की उम्र करीब डेढ वर्ष है। आयु कम होने के कारण पीडिता बोलने मे असमर्थ है जिस कारण पीडिता के बयान धारा 183 बीएनएसएस के बयान न्यायालय मे अंकित नही कराये जा सकते, किन्तु मुकदमा उपरोक्त की वादिया/पीडिता की माता के माननीय न्यायालय मे धारा 183 बीएनएसएस के बयान अंकित कराय गये। समय अभाव के कारण धारा 183 बीएनएसएस के बयानों का अवलोकन नहीं हो सका। मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित माल जो विधि विज्ञान प्रयोगशाला निवाडी गाजियाबाद भेजा गया था जिसकी रिपोर्ट अब तक की विवेचना के दौरान प्राप्त नहीं हुई थी जिसके सम्बन्ध में कार्यक्षेत्राधिकारी द्वारा स्मृति पत्र कार्यालय से प्राप्त किया व अवलोकन कर संलग्न सीडी की। दिनांक 07.04.2026 को सीडी का पर्चा नं0 6 किता किया गया था जिसमें मेरे द्वारा माननीय न्यायालय में जाकर धारा 183 बीएनएसएस के बयान का माननीय न्यायालय से अनुमति प्राप्त कर अवलोकन किया गया व नकल सीडी की गयी, जिसमे वादिया/पीडिता का माता के द्वारा घटना का समर्थन किया गया। दिनांक 12.04.2026 को सीडी का पर्चा नं0 7 किता किया गया था जिसमें पीडिता का मेडिकल परीक्षण कराने वाली महिला कांस्टेबल सोनम के बयान अंकित किये गये। दिनांक 18.04.2026 को सीडी का पर्चा नं0 8 किता किया गया था जिसमें सम्बन्धित माल को प्राप्त करने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा विधि विज्ञान प्रयोगशाला निवाडी गाजियाबाद को पत्राचार किया गया जिसकी रिपोर्ट का अवलोकन कर संलग्न सीडी की गयी। दिनांक 01.05.2026 को सीडी का पर्चा नं0 9 किता किया गया था, जिसमें मेरे द्वारा पीडिता का प्रारम्भिक मेडिकल करने वाली डाक्टर यशस्वी जैन का बयान अंकित किया व इसी दिन मेरे द्वारा पीडिता का मेडिकल परीक्षण करने वाली डाक्टर समा फातिमा के बयान

अंकित किये गये। दिनांक 04.05.2026 को सीडी का पर्चा नं0 10 किता किया गया था, जिसमें पीआरवी 4155 टू व्हीलर पर नियुक्त कांस्टेबल 1974 भीमसिंह व होमगार्ड अरूण कुमार के बयान अंकित किये गये। ***पीआरवी 4155 टू व्हीलर पर नियुक्त कांस्टेबल 1974 भीमसिंह व होमगार्ड अरूण कुमार के द्वारा मुझे यह बताया गया था कि दिनांक 12.03.2026 को इवेंट नम्बर 11316 प्राप्त हुआ था जिसमे कॉलर का नाम अंकुर मोबाईल नम्बर 7055626284 था मौके पर हम दोनो घटना स्थल पर पहुँचे थे।*** *मौके पर काफी भीड जमा था भीड के द्वारा अभियुक्त टिंकू उर्फ पिंकू के द्वारा छोटी बच्ची/पीडिता के साथ गलत काम करने की सूचना बतायी थी। दिनांक 07.05.2026 को मेरे द्वारा सीडी का पर्चा नं0 11 किता किया गया था जिसमें मुकदमा उपरोक्त की तमामी विवेचना बयान वादिया व अन्य बयान व अन्य साक्ष्य संकलनो के आधार पर अभियुक्त टिंकू उर्फ पिंकू के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 65(2)बी0 एन 0 एस 0 व 5(एम/एन)/6 पॉक्सो एक्ट आरोप पत्र संख्या 109/2026 दिनांक 07.05.2026 को माननीय न्यायालय मे आरोप पत्र प्रेषित किया गया। पत्रावली पर मौजूद टाईपशुदा आरोप पत्र पर अपने हस्ताक्षर की शिनाख्त की जिस पर* ***प्रदर्श क 10*** *डाला गया। दिनांक 10.05.2026 को मेरे द्वारा सीडी का पर्चा नं0 12/एससीडी 1 किता किया गया था जिसमें विधि विज्ञान प्रयोगशाला निवाडी गाजियाबाद से उपरोक्त मुकदमे से सम्बन्धित माल की एफ 0 एस 0 एल 0 रिपोर्ट प्राप्त हुई थी जिसका अवलोकन कर नकल सीडी व संलग्न सीडी की गयी थी।"*

48- **अभियोजन साक्षी पी0 डब्ल्यू0-6 विवेचक** ने बचाव पक्ष द्वारा प्रतिपरीक्षण किये जाने पर कथन किया है कि *"मैं थाना खतौली पर दिनांक 10.03.2025 से अब तक कार्यरत हूँ। मुकदमा उपरोक्त की विवेचना दिनांक 12.03.2026 को सुपुर्द की गयी थी। हमे मुकदमे की विवेचना थाना प्रभारी के द्वारा दी जाती है। मुकदमा उपरोक्त की विवेचना मेरे द्वारा 12.03.2026 को ही शुरू कर दी गयी थी।* ***मुकदमे की विवेचना के दौरान मैंने वादिया, पीडिता का मेडिकल करने वाली दोनो डाक्टर व पीडिता के पिता, नाना-नानी व एफ 0 आई 0 आर 0 लेखक, मामा, पीआरवी नियुक्त कर्मचारी व पीडिता का मेडिकल कराने वाली महिला कांस्टेबल के बयान दर्ज किये गये थे।*** *वादिया का बयान मैंने दिनांक 13.03.2026 को लिया था। वादिया का बयान मैंने वादिया के घर पर जाकर लिया था। वादिया ने अपने बयान मे यह बताया गया था कि टिंकू ने वादिया की पुत्री के साथ बलात्कार किया था। अंकुर का बयान मेरे द्वारा दर्ज किया गया था मुझे तारीख याद नही है। अंकुर ने अपने बयान मे घटना का समर्थन करते हुए बताया था कि टिंकू ने*

मेरी भांजी के साथ बलात्कार किया था। ***अभियुक्त को मैंने दिनांक 12.03.2026 को गिरफ्तार किया था।*** *अभियुक्त को मैंने मोहिद्दीनपुर रजवाहे के पास से गिरफ्तार किया था। अभियुक्त को गिरफ्तार करते समय मेरे हमराह उपनिरीक्षक पंकज चौधरी व कांस्टेबल नवीन व अन्य पुलिसवाले भी थे। हम लोग थाने से किस समय चले थे मुझे समय याद नही है हमारी थाने से रवानगी का जीडी मे समय अंकित है।* ***मेरे द्वारा वादिया की निशान देही पर निरीक्षण घटना स्थल किया गया था और नक्शा नजरी तैयार की गयी थी। घटना स्थल को नक्शा नजरी में एक्स के निशान से दर्शाया गया है।*** *मेरे द्वारा पीडिता का जन्मप्रमाण पत्र सीडी में संलग्न किया गया, जिसमें पीडिता की जन्मतिथि 09.09.2024 अंकित है। मेडिकल परीक्षण करने वाली डाक्टर समा फातिमा के बयान कब दर्ज किये गये थे, मुझे तारीख याद नही है, डाक्टर समा फातिमा के बयान मैंने जिला महिला अस्पताल मेरठ में जाकर दर्ज किये थे। अकुंर के द्वारा 112 नम्बर पर कॉल किया गया था तो सबसे पहले घटना स्थल पर पीआरवी 4155 टू व्हीलर पर नियुक्त कांस्टेबल 1974 भीमसिंह व होमगार्ड अरूण कुमार पहुँचे थे। इन दोनों लोगों ने मुझे घटना के बारे मे बताया था। यह कहना गलत है कि मेरे द्वारा थाने पर ही बैठकर विवेचना की गयी है। यह कहना गलत है कि मै आज न्यायालय मे सही बात ना बता रहा हूँ और झूठी गवाही दे रहा हूँ।"*

49- इस प्रकार अभियोजन साक्षी पी0 डब्ल्यू0-6, जो प्रस्तुत मामले के विवेचक है, के द्वारा पीडिता व अभियुक्त के रक्त का सैम्पल लेकर उसे विधि विज्ञान प्रयोगशाला गाजियाबाद परीक्षण हेतु भेजा गया था। इस साक्षी के द्वारा साक्षीगण के द्वारा समस्त साक्ष्य संकलित कर आरोप-पत्र को प्रदर्श क-10 के रूप में साबित किया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य नक्शा नजरी को देखे तो नक्शा नजरी में घटना स्थल को एक्स स्थान से प्रदर्शित किया गया है और एक्स स्थान मकान अभियुक्त है, जिसकी पुष्टि साक्षी पी0 डब्ल्यू0-7, पी0 डब्ल्यू02 व पी0 डब्ल्यू0-3 के साक्ष्य से भी होती है। साक्षी पी0 डब्ल्यू0-7 ने नक्शा नजरी की पुष्टि प्रदर्श क-9 के रूप में की है। इस साक्षी के द्वारा अभियुक्त की गिरफ्तारी मोहिद्दीनपुर रजवाहे से किये जाने की पुष्टि अपने साक्ष्य में की है। साक्षी के द्वारा दिनांक 10.05.2026 को सीडी का पर्चा नं0 12/एससीडी 1 किता किया गया था, जिसमें विधि विज्ञान प्रयोगशाला निवाडी गाजियाबाद से उपरोक्त मुकदमे से सम्बन्धित माल की एफ 0 एस 0 एल 0 रिपोर्ट प्राप्त हुई थी जिसका अवलोकन कर नकल सीडी व संलग्न सीडी की गयी थी।

50- अभियोजन की ओर से विधि विज्ञान प्रयोगशाला उ.प्र. गाजियाबाद की रिपोर्ट संयुक्त निदेशक द्वारा प्रेषित की गयी है, जो इस प्रकार है-

कार्यालय विधि विज्ञान प्रयोगशाला उ०प्र० गाजियाबाद

10199

प्रेषक,

संयुक्त निदेशक
विधि विज्ञान प्रयोगशाला, उत्तर प्रदेश, गाजियाबाद-201204

सेवा में,

पुलिस अधीक्षक नगर
मुजफ्फरनगर

पत्राक-2414-DNA-2026 (RFSL(GHA)/2414/DNA/122/26)
अपराध संख्या 69/2026 राज्य बनाम टिन्कू
धारा 65(2), 5m, 5n, 6 POCSO Act थाना खतौली
उपर्युक्त मामले से सम्बन्धित प्रदर्श प्रयोगशाला में दिनांक 18-03-2026 को विशेष वाहक द्वारा प्राप्त हुये।

सील का विवरण

कुल नौ (एक सर्वमुहर थर्मस + सात सर्वमुहर लिफाफे + एक सर्वमुहर बंडल) जिनमें (क्रम संख्या (1) थर्मस व क्रम संख्या (7) से (9) लिफाफों पर "C.H.C. KHATAULI MZN" मुदानमुनानुसार तथा क्रम संख्या (2) से (5) लिफाफों व क्रम संख्या (6) बडल पर "D.W.H. MEERUT" मुद्रानमूनानुसार) की छाप अक्षत थी।

प्रदर्शों का विवरण

1. रक्त नमूना (एक सर्वमुहर वायल में) |एक सर्वमुहर मूल थर्मस से (अभियुक्त टिन्कू से) (1)
2. रक्त नमूना (दो वायल में) |एक सर्वमुहर मूल लिफाफा से (पीड़िता से) (2)
3. वैजाइनल स्वेब, वुलवल स्वेब व वेजाइनल स्मीयर स्लाइड |तीन सर्वमुहर मूल लिफाफा से(पीड़िता से)(3)-(5)
4. नेकर |एक सर्वमुहर मूल बडल से (पीडिता से) (5)
5. ग्लान्स स्मीयर स्लाइड व स्वेब |एक सर्वमुहर मूल लिफाफा से (अभियुक्त टिन्कू से) (7)
6. प्यूबिक हेयर (एक सर्वमुहर पैकेट में)|एक सर्वमुहर मूल लिफाफा से (अभियुक्त टिन्कू से) (8)
7. जीन्स पेंट |एक सर्वमुहर मूल लिफाफा से (अभियुक्त टिन्कू से) (9)
8. शर्ट

परीक्षण परिणाम

प्राप्त प्रदर्श (1) से (8) का डीएनए परीक्षण किया गया।

स्रोत प्रदर्श (7) व (8) (टिन्कू से) पर उपस्थित बायोलॉजिकल द्रव्य में, स्रोत प्रदर्श (2) (पीडिता से) के डीएनए प्रोफाइल की उपस्थिति पायी गयी। (HID-STR KIT)

स्रोत प्रदर्श (3) व (4) (पीडिता से) पर पुरुष मूल का डीएनए प्रोफाइल आशिक जनरेट होने के कारण, स्रोत प्रदर्श (1) (टिन्कू से)से मिलान के सम्बन्ध में अभिमत दिया जाना सम्भव न हो सका (HID & Y-STR KIT)

विशेष न्यायाधीश(पोक्सो एक्ट)/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
मुजफ्फरनगर

स्रोत प्रदर्श (5) व (6) का डीएनए प्रोफाइल, सस्रोत प्रदर्श (1) के समान व पुरुष मूल का पाया गया। (HID-STR KIT)
डीएनए परीक्षण में जेनेटिक एनालाइजर व जीनमैपर सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया गया।
उक्त परीक्षण में मानक विधियाँ प्रयोग में लायी गयी।
नोट- समस्त प्रदर्शी को परीक्षणोपरांत एक बंडल में रखकर वापसी हेतु भील किया गया है।

अग्रसारित **उप-निदेशक**
डी.एन.ए. अनुभाग

51- इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अभियुक्त टिंकू की जिन्स पैंट एवं शर्ट पर उपस्थित बायोलॉजिकल द्रव्य में पीडिता के डी.एन.ए. प्रोफाइल की उपस्थिति पायी गयी है। इसका अर्थ यह हुआ कि अभियुक्त की पैंट व शर्ट पर जो रक्त लगा हुआ था, उसमें पीडिता के डी.एन.ए. की उपस्थिति यह दर्शित करती है कि उस तिथि पर जो रक्त स्राव पीडिता के जनांगों से हुआ, वह अभियुक्त की पैंट व शर्ट पर गिरा था यह तभी संभव है, जब अभियुक्त पीडिता के सम्पर्क में आया हो। पत्रावली पर उपलब्ध चिकित्सक साक्षी पी0 डब्ल्यू0-7 डॉ. यशस्वी जैन व साक्षी पी0 डब्ल्यू0-5 शना फातिमा के द्वारा साबित किये गये मेडिकल प्रपत्रों के आधार पर पीडिता के साथ गुरुत्तर लैंगिक हमला होने के तथ्य की पुष्टि हुई है, तभी पीडिता के जनांगों से रक्त स्राव हुआ है और उक्त रक्त स्राव में पीडिता के डी.एन.ए. का प्रोफाइल पाया गया। जहां तक पीडिता के वेजाइनल स्वैव व वलवल स्वैव में पुरुष मूल का डी.एन.ए. प्रोफाइल आंशिक रुप से जनरेट होना विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट में दर्शित किया गया है, लेकिन टिंकू से मिलान के संबंध में अभिमत दिया जाना संभव न हो सका तो इसका एक महत्वपूर्ण कारण यह भी हो सकता है कि पीडिता की योनि से काफी समय तक निरन्तर रक्त स्राव होना चिकित्सक द्वारा अपने साक्ष्य में बताया गया है। अतः ऐसी परिस्थित में यह भी संभव है कि उक्त रक्त स्राव के कारण डी.एन.ए. संरक्षित न हो सका हो। इस साक्षी के द्वारा पीड़िता के वैजाइनल स्वेब, वुलवल स्वेब व वेजाइनल स्मीयर स्लाइड तथा अभियुक्त से ग्लान्स स्मीयर स्लाइड, स्वेब, प्यूबिक हेयर, जींस व शर्ट संकलित कर परीक्षण हेतु दिए गए हैं एवं जो विवेचक द्वारा पीड़िता के कपड़े के साथ परीक्षण हेतु भेजे गए हैं, उनका परीक्षण परिणाम सकारात्मक पाया गया है, जिसके सम्बन्ध में विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट प्रदर्श क-11 पत्रावली पर उपलब्ध है। पत्रावली पर उपलब्ध **विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट** प्रदर्श क-11 के अनुसार **अभियुक्त टिंकू की जिन्स पैंट एवं शर्ट पर उपस्थित बायोलॉजिकल द्रव्य में पीडिता के डी.एन.ए. प्रोफाइल की उपस्थिति पायी गयी है।**

विशेष न्यायाधीश(पोक्सो एक्ट)/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
मुजफ्फरनगर

उल्लेखनीय तथ्य यह भी है कि पीड़िता की माँ/वादिनी मुकदमा ने अपने सम्पूर्ण साक्ष्य में अभियुक्त के द्वारा पीडिता के साथ बलात्कार किए जाने का कथन कर रही है, ऐसे में पीड़िता की माँ/वादिनी मुकदमा के कथनों की पुष्टि दस्तावेजी साक्ष्य से भी हो रही है। इस प्ररिप्रेक्ष्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की सम्मानित विधि व्यवस्था **देवेन्द्र तथा अन्य बनाम उ०प्र० राज्य 2007 (4) ए.एल.जे. पेज 57** में अवधारित किया गया है कि जब अभियोजन साक्षी की साक्ष्य की पुष्टि मेडीकल साक्ष्य से होती है तब ऐसे मामले में अभियुक्त की दोषसिद्धि उचित है।

52- इस प्रकार अभियोजन की ओर से परीक्षित कराये गये साक्षी पी0 डब्ल्यू0-2, जो कि पीडिता की माता है, के साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि **वह दिनांक 10.03.2026 को अपने मायके मोहद्दीनपुर आयी हुई थी। दिनांक 12.03.2026 को समय करीब दोपहर के 1 बजे उसकी पुत्री/पीडिता डेढ वर्ष को उसके ताऊ का लडका टिंकू उर्फ पिंकू बिस्कुट दिलाने के बहाने ले गया और टिंकू ने उसकी लडकी/पीडिता को अपने घर ले जाकर उसके साथ बलात्कार किया था।** अभियोजन साक्षी पी0 डब्ल्यू0-3 अंकुर, जो वादिनी मुकदमा का भाई है, के साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि **उसके द्वारा दिनांक 12.03.2026 उसके द्वारा पुलिस को फोन करके बुलाया गया।** विवेचक के द्वारा अपने मुख्य परीक्षण में इस तथ्य को बताया गया है कि पीआरबी 4155 टू व्हीलर पर नियुक्त कां. 1974 भीम सिंह व होमगार्ड अरूण कुमार के द्वारा विवेचक को केस डायरी के पर्चा सं0-10 में यह बयान दिया गया है कि दिनांक 12.03.2026 को इवेन्ट नंबर 11316 प्राप्त हुआ था, जिसमें कॉलर का नाम अंकुर मो. नं0-70xxxxxx84 था और उक्त सूचना पर वह दोनों घटना स्थल पर मौके पर काफी भीड जमा थी। अभियुक्त टिंकू द्वारा गलत काम करने की सूचना मिली थी। विवेचक ने इस तथ्य की पुष्टि अपने प्रतिपरीक्षण में भी की है कि अंकूर के द्वारा 112 नंबर पर कॉल करके सूचना दी थी और उक्त सूचना पर भीम सिंह व अरूण कुमार मौके पर पहुँचे थे। इस प्रकार अभियोजन पक्ष के साक्षी अंकुर के द्वारा उक्त घटना की सूचना 112 नंबर पर पुलिस को दी गयी, जिसके परिप्रेक्ष्य में पुलिस घटना स्थल पर पहुँची तथा इस साक्षी पी0 डब्ल्यू0-3 अंकुर कुमार ने घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट भी थाने पर लिखी थी तथा थाने पर दी गयी तहरीर प्रदर्श क-3 को साक्षी पी0 डब्ल्यू0-3 ने अपने साक्ष्य में सही होना साबित किया है अर्थात इस साक्षी ने अपने लेख व हस्ताक्षर की भी पुष्टि की है। इतना ही नहीं साक्षी पी0 डब्ल्यू0-3 ने अपने साक्ष्य में इस तथ्य का भी सही होना साबित किया है कि वह अपनी भांजी पीडिता को लेकर सी.एच.सी. भोपा पर गया था, जहां पर पीडिता की प्राथमिक जाँच कर मेडिकोलीगल रिपोर्ट तैयार कर उसे हायर सेण्टर रेफर

किया था| इसी कडी में यदि हम अभियोजन पक्ष की साक्षी पी0 डब्ल्यू-7 डॉ. यशस्वी जैन के साक्ष्य को देखे तो उक्त साक्षी के साक्ष्य से भी पीडिता का प्राथमिकी परीक्षण किया जाना और प्राथमिक चिकित्सीय परीक्षण में बल पूर्वक गुरुत्तर लैंगिक हमले के संकेतों की पुष्टि होने का तथ्य साबित होता है| इसी कडी में अभियोजन पक्ष की साक्षी पी0 डब्ल्यू0-5 डॉ. शना फातिमा के द्वारा अपने साक्ष्य में इस तथ्य को पूरी तरह से साबित कर दिया है कि जब उसके द्वारा पीडिता का आन्तरिक परीक्षण किया गया था तो **पीडिता का नैकर खून से सना होना उसके द्वारा पाया गया तथा पीडिता का हाईमन ताजा फटा हुआ होना, 6 O Clock पॉजिशन पर पाया गया जिसमें ताजा खून का रिसाव हो रहा था| तथा चोट सं0-2 हल्की सूजन लालिमा के साथ दांयी एवं वांयी तरफ की लेविया मेजोरा एवं लेबिया माइनोरा पर होना पाया गया** | जिससे यह तथ्य पूरी तरह से साबित हो गया कि कथित घटना कि तिथि पर अभियुक्त के द्वारा पीडिता की योनि में जबरदस्ती लिंग प्रवेश कराकर उसे क्षति पहुँचायी गई| इतना ही नहीं अभियोजन पक्ष की साक्षी पी0 डब्ल्यू0-5 ने पीडिता के कपड़े वेजाइनल स्वैव, वलवल स्वैब, कपडे इत्यादि की स्लाइड कर सम्बंधित सामग्री विधि विज्ञान प्रयोगशाला उसे पुलिस कां. सोनम को उपलब्ध कराया और विवेचक के द्वारा चिकित्सक के द्वारा संकलित सामग्री को परीक्षण हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला निवाडी भेजा गया| अभियोजन पक्ष के साक्षी पी0 डब्ल्यू0-6 प्रस्तुत मामले के विवेचक के द्वारा भी न्यायालय के समक्ष इस तथ्य को सही होना साबित किया है कि उसके द्वारा चिकित्सक ने जो सामग्री विधि विज्ञान प्रयोगशाला से फौरेंसिक परीक्षण हेतु उपलब्ध करायी थी, उसको परीक्षण हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला दाखिल कराया था तथा उपरोक्त विवेचन मे यह तथ्य भी स्पष्ट हो चुका है कि अभियुक्त के जींस व शर्ट पर पीडिता के रक्त के निशान पाये गये तथा पीडिता के वेजाइनल स्वैव व वलवल स्वैब में भी पुरुष मूल के डी.एन.ए. का आंशिक रूप से जनरेट होना भी इस बात का प्रमाण है कि कथित घटना अभियुक्त के द्वारा कारित की गयी है| उल्लेखनीय तथ्य यह भी है कि बचाव पक्ष जिसके साक्ष्य का विवेचक आगे निर्णय में किया जायेगा, वह भी अपने बचाव में कोई ठोस तर्क या आधार प्रस्तुत नहीं कर पाया है जिससे कि घटना अभियुक्त के द्वारा कारित किये जाने में किसी प्रकार का सन्देह उत्पन्न होता हो| इसी परिप्रेक्ष्य में यह भी तथ्य उल्लेखनीय है कि बचाव पक्ष ऐसा कोई ठोस आधार न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं कर सका है कि वादिनी मुकदमा के द्वारा किसी पूर्व की रंजिश या किसी अमुक कारण से अभियुक्त को उक्त प्रकरण में गलत रूप से संलिप्त किया गया हो, बल्कि यदि अभियोजन साक्ष्य को प्रारम्भ से अन्त तक देखे तो अभियोजन साक्ष्य, साक्ष्य की एक ऐसी अटूट

श्रंखला के माध्यम से इस तथ्य को पूरी तरह से साबित करने में सफल रहा है कि उक्त अपराध अभियुक्त के द्वारा ही कारित किया गया है तथा अभियोजन कथानक न केवल मौखिक साक्ष्य से बल्कि दस्तावेजी साक्ष्य से भी अभियुक्त के विरुद्ध सन्देह से परे साबित होता है| अतः इस न्यायालय का निष्कर्ष तौर पर स्पष्ट मत है कि **अभियुक्त टिंकू उर्फ पिंकू के द्वारा वादिनी मकुदमा की डेढ वर्ष की पुत्री पीडिता के साथ अपनी हवस को मिटाने के उद्देश्य से जबरदस्ती दुष्कर्म जैसा जघन्य अपराध कारित किया है और अभियोजन कथानक इस संबंध में अभियुक्त के विरुद्ध सन्देह से परे साबित है|**

53- प्रस्तुत मामले में बचाव पक्ष की ओर से अपने कथनों के समर्थन में दो साक्षीगण डी.डब्ल्यू-1 व डी.डब्ल्यू0-2 को परीक्षित कराया गया है, जिनका मुख्य परीक्षण व प्रतिपरीक्षण निम्नवत है-

54- **बचाव पक्ष के साक्षी डी0 डब्ल्यू0-1 रविन्द्र के द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि** *"मेरा भाई टिंकू उर्फ पिंकू और मैं मुकदमा उपरोक्त की वादिया के पिता नीटू के साथ मजदूरी का कार्य करते है| मेरे व मेरे भाई टिंकू के मुकदमा उपरोक्त के वादिया के पिता पर मजदूरी के 9 हजार रुपये बकाया है, जिसे मैंने व मेरे भाई टिंकू ने कई बार मुकदमा उपरोक्त की वादिया के पिता से मांगे जिस पर वह लडाई -झगडे को उतारु हो गये और मेरे व मेरे भाई के मजदूरी के पैसे देने से इंकार कर दिया तथा मेरे भाई टिंकू उर्फ पिंकू को अंजाम भुगतने की धमकी दी| दिनांक 12.03.2026 को मुकदमा उपरोक्त की वादिया प्रियंका अपने माईके आयी हुई थी उसकी नाबालिक पुत्री खेलते समय कही से गिर गयी थी और चुटैल हो गयी थी, शोर शराबे पर मैं व मेरा भाई टिंकू उर्फ पिंकू भी वहाँ पहुँचे तो मकुदमा उपरोक्त की वादिया द्वारा रंजिश के कारण मेरे भाई टिंकू उर्फ पिंकू पर झूठा आरोप लगाते हुए उसके साथ गाली गलौच किया, मेरे भाई टिंकू उर्फ पिंकू द्वारा कथित अपराध कारित नही किया गया|"*

55- **साक्षी डी0 डब्ल्यू0-1 रविन्द्र के से विशेष लोक अभियोजक के द्वारा किये गये प्रतिपरीक्षण में कथन किया गया है कि** *"मुल्जिम टिंकू उर्फ पिंकू मेरा छोटा भाई है,* ***हमारा वादिया से काफी दिनो से पैसे का विवाद था, इसके अलावा हमारा कोई विवाद आपसी जमीन का नही था, इस पैसे के विवाद मे हमारी आपस मे मारपीट भी हुई थी|*** *वादिया के साथ मारपीट के सम्बन्ध में हमने पुलिस में कोई सूचना नहीं दी थी, हमने इसलिए सूचना नहीं दी थी, क्योंकि मौहल्ले का मामला है| हमने जो मेरे द्वारा 9 हजार रुपये बताये गये उसके सम्बन्ध मे भी मैx ने पुलिस को व*

गांव वालो को कोई बात नही बतायी थी। मेरे व मेरे भाई टिंकू उर्फ पिंकू के द्वारा वादिया के पिता के द्वारा अंजाम भुगतने की धमकी वाली बात भी पुलिस को नहीं बतायी थी और न इस सम्बन्ध में कही कोई लिखित शिकायत की थी।"

56- **बचाव पक्ष के साक्षी डी0 डब्ल्यू0-2 क्रांति के द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि** *"मेरा पुत्र टिंकू उर्फ पिंकू और मेरे दूसरे पुत्र रविन्द्र मुकदमा उपरोक्त की वादिया के पिता नीटू के साथ मजदूरी का कार्य करते है, मेरे पुत्र टिंकू व दूसरे पुत्र रविन्द्र के मुकदमा उपरोक्त के वादिया के पिता पर मजदूरी के 9 हजार रूपये बकाया है, जिसे मेरे दोनो पुत्रो ने कई बार मुकदमा उपरोक्त की वादिया के पिता से मांगे जिस पर वह लडाई झगडे को उतारू हो गये और मेरे दोनो पुत्रो के मजदूरी के पैसे देने से इंकार कर दिया तथा मेरे पुत्र टिंकू उर्फ पिंकू को अंजाम भुगतने की धमकी दी। दिनांक 12.03.2026 को मुकदमा उपरोक्त की वादिया प्रियंका अपने माईके आयी हुई थी उसकी नाबालिक पुत्री खेलते समय कही से गिर गयी थी और चुटैल हो गयी थी, शोर शराबे पर मेरे दोनों पुत्र भी वहाँ पहुँचे तो मकुदमा उपरोक्त की वादिया द्वारा रंजिश के कारण मेरे पुत्र टिंकू उर्फ पिंकू पर झूठा आरोप लगाते हुए उसके साथ गाली गलौच किया। मेरे पुत्र टिंकू उर्फ पिंकू द्वारा कथित अपराध कारित नही किया गया। "*

57- **साक्षी डी0 डब्ल्यू0-2 क्रांति से विशेष लोक अभियोजक के द्वारा किये गये प्रतिपरीक्षण में कथन किया गया है कि** *"मुल्जिम टिंकू उर्फ पिंकू मेरा पुत्र है, मैने वादिया की पुत्री को जमीन पर गिरते हुए देखा था जिससे उसको चोट आयी थी। मेरे बेटे ने अपने बयान मे पीडिता को गिरने पर चोट आने पर शोर शराबा सुनने पर मेरा बेटा टिंकू उर्फ पिंकू व रविन्द्र अपने पहुँचने के अलावा अपनी माता का वहाँ पर पहुँचना नहीं बताया है, अगर मेरे बेटे रविन्द्र ने मेरा वहाँ पर पहुँचने की कोई बात नही बतायी तो मै इसकी कोई वजह नही बता सकती।* ***हमारा वादिया से काफी दिनो से पैसे का विवाद था, इसके अलावा हमारा कोई विवाद आपसी जमीन का नही था, इस पैसे के विवाद मे हमारी आपस मे मारपीट भी हुई थी,*** *वादिया के साथ मारपीट के सम्बन्ध मे हमने पुलिस मे कोई सूचना नही दी थी, हमने इसलिए सूचना नही दी थी क्योकि मौहल्ले का मामला है। हमने वादिया व उसके परिवारवालो द्वारा अंजाम भुगतने व धमकी देने वाली बात किसी पुलिस अधिकारी को नही बतायी थी और ना इस सम्बन्ध मे कोई प्रार्थना पत्र उच्च अधिकारी को दिया था। हमने जो 9 हजार रूपये बताये थे उसके सम्बन्ध मे भी मैने पुलिस को व गांव वालो को कोई बात नही बतायी थी। मेरे व मेरे दोनो बेटो के द्वारा वादिया के पिता के द्वारा अंजाम*

भुगतने की धमकी वाली बात भी पुलिस को नही बतायी गयी थी और ना इस सम्बन्ध मे कही कोई लिखित शिकायत की थी।"

58- विद्वान विशेष लोक अभियोजक के द्वारा दौरान बहस तर्क प्रस्तुत करते हुए इस बिन्दु पर अत्यधिक बल दिया है कि अभियुक्त का जब बयान अन्तर्गत धारा 351 बी.एन.एस.एस. अंकित किया गया, तब अभियुक्त के द्वारा अपने बयान में यह कथन किया गया है कि वादिनी मुकदमा के भाई से उनकी जमीन की रंजिश चल रही है और उसी रंजिश की वजह से उसे झूठा फंसाया गया है। विद्वान विशेष लोक अभियोजक के द्वारा तर्क दिया गया हैकि जब बचाव पक्ष ने अपनी ओर से साक्षी डी.डब्लयू0-1 व डी.डब्ल्यू-2 को परीक्षित कराया तो उनसे इस संबंध में प्रश्न पूछने पर दोनों साक्षीगण ने इस तथ्य से इंकार किया है कि वादिनी मुकदमा के भाई से उनकी जमीनी रजिंश नहीं है, बल्कि उक्त दोनों साक्षीगण ने मजदूरी के पैसो को विवाद होना अपने साक्ष्य में बताया है।

59- बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता की ओर से तर्कों के परिप्रेक्ष्य में यदि हम बचाव पक्ष की ओर से प्रस्तुत किये गये साक्षी डी.डब्ल्यू0-1 व डी0 डी.डब्ल्यू0-2 के साक्ष्य को देखे तो स्पष्ट होता है कि उक्त साक्षीगण ने विशेष लोक अभियोजक के द्वारा किये गये प्रतिपरीक्षणमे स्पष्ट रुप से तथ्य से इंकार किया है कि वादिनी मुकदमा के भाई से उनकी कोई जमीनी रंजिश नहीं है, बल्कि दोनों साक्षीगण ने मजदूरी के पैसो का विवाद होना बताया है। अतः विद्वान विशेष लोक अभियोजक की ओर से प्रस्तुत किया गया तर्क पूरी तरह से सही हैकि जो तथ्य अभियुक्त अपने बचाव में अपने बयान अन्तर्गत धारा 351 में कर रहा है, उस तथ्य का खण्डन स्वयं बचाव पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्षीगण ने अपने प्रतिपरीक्षण में किया है और इस आधार पर दोनों साक्षीगण का साक्ष्य अभियुक्त के कथन के सापेक्ष विरोधाभासी हो जाता है और इस आधार पर बचाव पक्ष की ओर से प्रस्तुत किया गया साक्ष्य विरोधाभासी हो जाने के कारण विश्वसनीय साक्ष्य की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है।

60- इसके अतिरिक्त यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि साक्षी डी0 डब्ल्यू0-1 व डी0 डब्ल्यू0-2 अपने साक्ष्य में जो पैसे का विवाद होने का कथन कर रहे है, वह सिर्फ बचाव के उद्देश्य से ही कर रहे है, क्योंकि अभियोजन पक्ष के साक्षीगण क्रमशः पी0 डब्ल्यू0-2, पी0 डब्ल्यू0-3 व पी0 डब्ल्यू0-4 के द्वारा अभियुक्त के साथ किसी प्रकार का कोई विवाद होने से इंकार किया है। अतः इस आधार पर भी बचाव पक्ष का साक्ष्य विश्वसनीय नहीं माना जा सकता है।

61- बचाव पक्ष की ओर से यह भी तर्क दिया गया कि अभियोजन पक्ष की ओर से घटना के सम्बन्ध में कोई स्वतंत्र साक्षी परीक्षित नहीं कराया है| बचाव पक्ष के उक्त तर्क के परिप्रेक्ष्य में उल्लेखनीय है कि प्रस्तुत मामला पीड़िता के साथ दुष्कर्म से सम्बन्धित है और ऐसा अपराध एकान्त में किया गया होता है, ऐसे मामलों में घटना का चक्षुदर्शी साक्षी मिलना सम्भव नहीं होता है एवं संदर्भ में घटना की महत्वपूर्ण साक्षी केवल पीड़िता होती है| यहां यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि **प्रस्तुत मामले की पीडिता जो घटना के समय लगभग डेढ़ वर्ष की थी, जिसके संबंध में यह स्वभाविक है कि वह अपनी बात को स्पष्ट रुप से न कह सकती है और न बता सकती है| इस संबंध में विवेचक द्वारा सी.डी. पर्चा नं0-3 में स्पष्ट रुप से उल्लिखित किया गया है कि कां. अर्चना द्वारा पीडिता से उसका नाम पूछा गया तो नहीं बता पायी व इशारों से अन्य बातें पूछी गई, तब भी नहीं बता पायी| पीडिता की माता/वादिनी श्रीमती प्रियंका द्वारा बताया गया कि पीडिता अभी कुछ ज्यादा नहीं बोल पाती, न ही कुछ बता पाती है, क्योंकि पीडिता की उम्र डेढ वर्ष होने के कारण कुछ बोलने व समझने में असमर्थ है इसलिए वादिया के धारा 183 बी.एन.एस.एस. के बयान न्यायालय में दर्ज करा कर अग्रिम विधिक कार्यवाही अमल में लायी गयी| पीडिता की माँ/वादिनी मुकदमा द्वारा यदि स्वाभाविक एवं विश्वसनीय बयान दिया गया है,** तब उसकी संपुष्टि के लिये किसी अन्य साक्ष्य की आवश्यकता नहीं होती है जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **पंजाब राज्य बनाम गुरमीत सिंह एवं अन्य 1996 (2) 284 एवं नवीनतम निर्णय फूल सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य निर्णय दिनांकित 01.12.2021** में भी स्पष्ट रुप से यह अवधारित किया है कि लैंगिक अपराधों से संबंधित मामलों में पीड़िता/वादिनी मुकदमा द्वारा यदि स्वाभाविक एवं विश्वसनीय साक्ष्य दिया गया है तो ऐसे साक्ष्य की संपुष्टि के लिए किसी अन्य साक्षी की आवश्यकता नहीं है| मात्र वादिनी मुकदमा, जो पीडिता की माँ है, के साक्ष्यों के आधार पर ही दोषसिद्धि कायम की जा सकती है| इस सम्बन्ध में **पर्वत सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य (2020) 4 एस०सी०सी० पेज 33** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा यह अवधारित किया गया है कि एक मात्र विश्वसनीय साक्षी की साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त को दोषसिद्धि प्रदान की जा सकती है| साक्षियों की अधिक संख्या की आवश्यकता नहीं है| इसी परिप्रेक्ष्य में **नामदेव बनाम महाराष्ट्र राज्य (2007) 14 एस०सी०सी० पेज 150** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा यह अवधारित किया गया है कि न तो विधायिका और न ही न्यायापालिका ने ऐसा कोई आदेश दिया है कि किसी अभियुक्त को दोषसिद्धि प्रदान करने हेतु एक निश्चित संख्या के साक्षियों की आवश्यकता होगी| बल्कि इस देश की विधि व्यवस्था में साक्षी की विश्वसनीयता, उसका आचरण एवं व्यवहार परखा जाना आवश्यक है| इसी प्रकार **विपिन कुमार**

<u>मण्डल बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (2010) 12 एस०सी०सी० पेज 91</u> के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा अवधारित किया गया है कि साक्षियों की संख्या अधिक महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि साक्षियों के साक्ष्य की गुणवत्ता अधिक महत्वपूर्ण है तथा समय की यह मांग है कि साक्ष्य का मूल्यांकन किया जाना चाहिए न की उनकी संख्या का तथा साक्षी की साक्ष्य का मूल्याकंन करते समय साक्ष्य की सत्यता, विश्वसनीयता, सुसंगतता आदि तथ्यों को देखा जाना चाहिए| इसी परिप्रेक्ष्य में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **<u>महेश एवं अन्य बनाम स्टेट आफ मध्य प्रदेश (2011) 3 ए 0 सी0 सी0 (क्रिमिनल) 783</u>** के आपराधिक मामले को साबित किये जाने हेतु धारा 134 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अधीन साक्षियों की कोई संख्या निर्धारित नहीं होती है, बल्कि परीक्षित साक्षियों के साक्ष्य की गुणवत्ता महत्वपूर्ण होती है| एकमात्र विश्वसनीय साक्षी के साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त की दोषसिद्धि संधार्य होती है| चूँकि पीड़िता घटना के समय लगभग 01 वर्ष 06 माह की अवोध अवयस्क बालिका थी एवं अभियुक्त घटना के समय वयस्क था, और अभियुक्त द्वारा बल पूर्वक पीडिता के साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया गया है| पीड़िता की माता/वादिनी मुकदमा/पी0 डब्ल्यू0-2 के कथनों की पुष्टि मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से भी हो रही है| प्रस्तुत मामले में पीड़िता की माता/वादिनी मुकदमा/पी0 डब्ल्यू0-2 का साक्ष्य विश्वसनीय है एवं उसके साक्ष्य से अभियोजन कथानक का समर्थन हो रहा है|

62- प्रस्तुत मामले में अभियुक्त के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-65(2)भारतीय न्याय संहिता व धारा-5(एम/एन)/6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत आरोप विरचित किया गया है| इस सम्बन्ध में सर्वप्रथम भारतीय न्याय संहिता की धारा-65(2) एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा- 5(M/N) व 6 का उल्लेख करना समीचीन होगा जोकि निम्नवत है-

<u>भारतीय न्याय संहिता की धारा-65(2)बलात्संग के लिए दण्ड-</u> जो कोई, बारह वर्ष से कम आयु की किसी महिला से बलात्संग करता है, वह कठिन कारावास से, जिसकी अवधि बीस वर्ष से कम की नहीं होगी, किन्तु जो आजीवन कारावास, जिससे उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल का कारावास अभिप्रेत है,तक की हो सकेगी और जुर्माने से, या मृत्युदण्ड से दण्डित किया जाएगा:

परंतु ऐसा जुर्माना पीड़िता के चिकित्सीय व्ययो को पूरा करने के लिए और पुनर्वास के लिए न्यायोचित और युक्तियुक्त होगा,

विशेष न्यायाधीश(पोक्सो एक्ट)/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
मुजफ्फरनगर

परंतु यह और कि इस उपधारा के अधीन अधिरोपित किसी भी जुर्माने का संदाय पीड़िता को किया जाएगा|

<u>लैंगिक अपराध से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा-3. प्रवेशन लैंगिक हमला-</u> कोई व्यक्ति, "प्रवेशन लैंगिक हमला " करता है, यह कहा जाता है, यदि वह- अपना लिंग, किसी भी सीमा तक किसी बालक की योनि, मुँह, मूत्रमार्ग या गुदा में प्रवेश करता है या बालक से उसके साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करवाता है|

<u>धारा-5 गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला- (M)</u>-जो कोई, बारह वर्ष से कम आयु के किसी बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है, वह गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है, यह कहा जाता है|

<u>धारा-5 गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला- (N)</u>- जो कोई, बालक का रक्त या दत्तक या विवाह या संरक्षकता द्वारा या पोषण देखभाल करने वाला नातेदार या बालक के माता-पिता के साथ घरेलू संबंध रखते हुए या जो बालक के साथ साझी गृहस्थी में रहता है, ऐसे बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है| वह गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है, यह कहा जाता है|

<u>धारा-6 गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमले के लिए दण्ड- (1)</u> जो कोई, गुरुत्तर प्रवेशन लैंगिक हमला करेगा, वह कठोर कारावास से जिसकी अवधि बीस वर्ष से कम की नहीं होगी, किन्तु आजीवन कारावास, जिसका अभिप्राय उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए कारावास होगा, तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा या मृत्यु दण्ड से दण्डित किया जाएगा|

(2) उपधारा(1) के अधीन अधिरोपित जुर्माना न्यायोचित और युक्तियुक्त होगा और उसका संदाय, पीड़िता के चिकित्सा व्ययों की प्रतिपूर्ति एवं पुनर्वास के लिए ऐसे पीड़ित को किया जाएगा|

63- प्रस्तुत मामले में पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अभियोजन पक्ष इस तथ्य को अभियुक्त के विरूद्ध सन्देह से पर साबित करने में पूरी तरह से सफल रहा है कि अभियुक्त के द्वारा पीडिता जिसकी उम्र लगभग डेढ़ वर्ष घटना के समय थी तथा वह घटना के समय अवोध बालिका थी, जोकि बोलने व चीजों को समझने मे भी असमर्थ थी| अभियोजन पक्ष की ओर स परीक्षित कराये गये तथ्य के तीनों साक्षीगण पी0 डब्ल्यू0-2, पी0 डब्ल्यू0-3 व पी0 डब्लू0-4 के द्वारा अभियोजन कथानक को अभियुक्त के विरुद्ध पूरी तरह साबित किया है इसके अतिरिक्त पत्रावली पर उपलब्ध चिकित्सीय प्रपत्र

पूरी तरह से साबित कर रहे है कि पीडिता के साथ दुष्कर्म जैसा वीभत्स घटना अभियुक्त टिंकू उर्फ पिंकू के द्वारा कारित की गई। पत्रावली पर उपलब्ध चिकित्सीय दस्तावेज को तैयार करने वाले साक्षीगण क्रमशः पी0 डब्ल्यू0-5 व पी0 डब्ल्यू0-7 ने चिकित्सीय प्रपत्रों का सही होना साबित किया है तथा विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट में इस बात को पूरी तरह से साबित कर दिया है कि उक्त घटना अभियुक्त के द्वारा ही कारित की गई है। इसके अतिरिक्त अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित साक्षी पी0 डब्ल्यू0-1 व पी0 डब्ल्यू0-6 भी पुलिस प्रपत्र नक्शा नजरी, आरोप-पत्र व उक्त घटना क्रम के सुसंगत तथ्यों को साबित करने में पूरी तरह से सफल रहे हैं। इस न्यायालय का निष्कर्ष तौर पर मत है कि अभियोजन कथानक अभियुक्त के विरूद्ध सन्देह से परे साबित है।

64- **अभियुक्त के विरूद्ध प्रस्तुत मामले में लैंगिक अपराध से बालकों का संरक्षण अधिनियम,2012 की धारा 5 एम के अन्तर्गत आरोप विरचित किया गया है, जो कि यह प्रावधान करती है कि जब किसी बारह वर्ष से कम आयु के बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला किया जाता है, वह गुरूत्तर प्रवेशन लैंगिक हमला कहा जायेगा। प्रस्तुत मामले के तथ्यों से स्पष्ट है कि पीडिता घटना के समय डेढ वर्ष की अवोध बालिका थी तथा अभियुक्त के द्वारा पीडिता के साथ प्रवेशन लैंगिक हमला किया गया है जिसकी पुष्टि पत्रावली पर चिकित्सीय साक्ष्य से हुई है। अतः ऐसी परिस्थिति में अभियुक्त के द्वारा लैंगिक अपराध से बालकों का संरक्षण अधिनियम,2012 की धारा 5 एम का अपराध सन्देह से परे साबित होता है।**

65- प्रस्तुत मामले में अभियुक्त के विरूद्ध **लैंगिक अपराध से बालकों का संरक्षण अधिनियम,2012 की धारा 5 एन** का भी आरोप विरचित किया गया है, जोकि यह प्रावधान करती है कि **जब कोई अभियुक्त किसी बालक के माता-पिता के साथ घरेलू संबंध रखते हुए या ऐसे बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है, वह गुरूत्तर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है।** प्रस्तुत में पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य में यह तथ्य आया है कि **अभियुक्त पीडिता का रिश्ते में मामा लगता है तथा वादिनी मुकदमा के द्वारा अपनी तहरीर में यह तथ्य लिखाया है कि अभियुक्त उसके ताऊ ईश्वर का पुत्र है जिस कारण से वह वादिनी मुकदमा का रिश्ते का भाई तथा पीडिता का मामा लगता है।** संभवतः यह कारण रहा कि वादिनी मुकदमा से जब अभियुक्त पीडिता को विस्कुट दिलाने के बहाने लेकर गया था तो वादिनी मुकदमा ने अभियुक्त को अपना भाई मानते हुए पीडिता को दुकान तक ले जाने की अनुमति दे दी। यह वादिनी मुकदमा का अभियुक्त के प्रति ऐसा विश्वास का संबंध एवं रिश्ता था जिसके संबंध में वादिनी मुकदमा स्वप्न में भी अभियुक्त के द्वारा जिस प्रकार की हैबानियत पीडिता के साथ की गई वह

कल्पना से परे है| अभियुक्त के द्वारा न केवल वादिनी मुकदमा के विश्वास को चूर-चूर किया गया, बल्कि सामाजिक रिश्तों को भी पूरी तरह से कलंकित कर दिया है| अभियुक्त के पास पीडिता के साथ इस प्रकार की घटना करने का अवसर सिर्फ वादिनी मुकदमा से उसका भाई का रिश्ता था जिसे अभियुक्त ने न केवल उक्त घटना कारित करके कंलकित किया है, बल्कि मानवीयता को भी शर्मसार किया है और अभियुक्त केवल उसी रिश्ते के कारण पीडिता के साथ इस प्रकार की घटना कारित कर सका, अन्यथा अभियुक्त वादिनी मुकदमा का भाई न होता तो निश्चित तौर पर वादिनी मुकदमा पीडिता को उसके साथ कदापि बाहर ले जाने की अनुमति प्रदान नही करती| अभियोजन साक्ष्य में यह तथ्य भी आया है कि अभियुक्त इससे पूर्व भी पीडिता को दुकान पर विस्कुट दिलाने अथवा खिलाने के लिए ले जाता रहा है और अभियुक्त के द्वारा इसी परिस्थिति का लाभ उठाते हुए वादिनी मुकदमा के विश्वास पर भी कुठाराघात किया है| पीडिता के साथ इतनी वीभत्स दुष्कर्म जैसी घटना कारित की है| इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर यह तथ्य भी पूरी तरह से साबित है कि अभियुक्त ने वादिनी मुकदमा के साथ अपने घरेलू संबंध का लाभ उठाते हुए पीडिता के साथ उक्त घटना कारित की है| अतः इस न्यालालय के मत में **लैंगिक अपराध से बालकों का संरक्षण अधिनियम,2012 की धारा 5 एन का आरोप भी अभियुक्त के विरुद्ध सन्देह से परे साबित होता है|**

66- **उक्त प्रकरण के तथ्य यह दर्शित करते है कि वर्तमान समाज में नैतिक मूल्यों का ह्रास एक गंभीर चिंता का विषय बन गया है, भौतिकता की अंधी दौड़, स्वार्थपरता तथा बढ़ती हुई तकनीकी निर्भरता के कारण सत्य, करुणा, ईमानदारी और आदर जैसे मानवीय मूल्य पीछे छूटते जा रहे है| इण्टरनेट और सोशल मीडिया के माध्यम से जिस प्रकार की अवास्तविक एवं अश्लील सामग्री तकनीक के माध्यम से समाज में परोसी जा रही है, वह वर्तमान समाज तथा भविष्य के लिए सृजित हो रहे समाज के लिए गंभीर चिंता का विषय बनती जा रही है| इस न्यायालय को उल्लेख करने में कोई अतिश्योक्ति नहीं है कि अभियुक्त के द्वारा जिस प्रकार की घटना पीडिता के साथ की गई है, वह न केवल मानवीयता को शर्मसार करने वाली है, बल्कि वर्तमान समाज के उस प्रतिविम्ब को भी दर्शित करती है कि वास्तव में अब हमारा समाज किस दिशा की ओर अग्रसर हो रहा है| वर्तमान समाज में ऐसे युवा जिनमें शिक्षा का अभाव, सोशल मीडिया के माध्यम से परोसी जा रही अश्लील सामग्री, नैतिक मूल्यों का अवमूल्यन गिरती जा रही मानवीय संस्कृति तथा रिश्तों की महत्ता को खत्म करने की प्रवृत्ति इत्यादि ऐसे कारक है, जो समाज को नैतिक मूल्यों से दूर कर रहे है| वर्तमान प्रकरण के तथ्य दर्शित करते है कि मानवीय रिश्तों को बरकरार रखने मानवीय रिश्तों एवं नैतिक मूल्यों को बरकरार रखने हेतु एक सामाजिक पुनर्जागरण**

की आवश्यकता है तथा समाज को एक ऐसी नई पीढी की सृजन की आवश्यकता है जिससे की समाज में उत्तपन्न हो रही ऐसी बुराईयों को समय रहते हुए दूर किया जा सके तथा पुनः सांस्कृतिक एवं मानवीय मूल्यों को खड़ा करके ऐसी घटना की पुनरावृत्ति को रोका जा सके। किसी भी व्यक्ति और समाज दोनों के उत्थान का मूल मंत्र सदाचार के पालन में है और आचरण की सभ्यता का देश ही निराला होता है जिसमें न तो शारीरिक, मानसिक व आध्यात्मिक झगड़े होते है, न ही कोई धनवान और निर्धन होता है और न ही कोई विद्रोह है, बल्कि वहां तो प्रेम और अखण्डता का राज्य होता है तथा सतसंग और स्वाध्याय की सीढ़ी व्यक्ति को सदाचार की ओर ले जाती है। वर्तमान परिवेश में व्यक्ति को सदाचार की ओर अग्रसर किये जाने हेतु नैतिक शिक्षा को भी शिक्षा प्रणाली में उचित स्थान देकर एक नई पीढी उच्च मूल्यों सहित तैयार की जा सकती है जिस पर विचार करने की आवश्यकता है।

67- इस प्रकार स्पष्ट है कि अभियोजन की ओर से प्रस्तुत मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त **टिंकू उर्फ पिंकू** के विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा-65(2) व लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा-5(एम/एन)/6 का अपराध सन्देह से परे साबित है।

68- इस प्रकार उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि अभियोजन की ओर से प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त **टिंकू उर्फ पिंकू** के विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा-65(2) व लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा-5(एम/एन)/6 का अपराध सन्देह से परे साबित होता है।

69- **लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा-29** के अन्तर्गत इस अधिनियम की धारा-5 के आरोप के सम्बन्ध में न्यायालय द्वारा यह उपधारणा की जायेगी कि अभियुक्त ने ऐसा अपराध किया है, जब तक कि इसके विरूद्ध साबित नहीं कर दिया जाता है। **लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा-30** के अन्तर्गत इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिये किसी अभियोजन में, जो अभियुक्त की ओर से आपराधिक मानसिक स्थिति की अपेक्षा करता है, विशेष न्यायालय ऐसी मानसिक दशा की विद्यमानता की उपधारणा करेगा जब तक कि इसके विपरीत साबित न किया जाये। प्रस्तुत मामले में बचाव पक्ष की ओर से तर्क दिया गया है कि पीड़िता खेलते समय गिर गयी थी, जिस कारण से उसे चोट लग गयी थी एवं अभियुक्त एवं वादिनी मुकदमा के भाई के मध्य जमीन विवाद के लेन-देन को लेकर झगड़ा हुआ था और उसी झगड़े के कारण वादिनी मुकदमा ने अभियुक्त को झूठा फंसाया है। यदि

तर्क के लिए यह मान भी लें कि अभियुक्त व वादिनी मुकदमा के भाई मध्य जमीन के लेन देन को लेकर कोई रंजिश है, तो किसी भी पक्ष के मध्य रंजिश दोधारी तलवार की तरह कार्य करती है, एक तो वह वादी पक्ष को अभियुक्त को झूठा फंसाने का हेतुक प्रदान करती है तो वहीं दूसरी ओर अभियुक्त को वादी पक्ष के विरूद्ध कोई अपराध कारित करने को उत्प्रेरित करती है। प्रस्तुत मामले में यदि **पीड़िता के गुप्तांग पर आयी चोट की प्रकृति को देंखे तो उक्त चोट जबरदस्ती प्रवेशन लैंगिक हमले से आयी है, पीड़िता के गिर जाने से पीड़िता के गुप्तांग पर इस प्रकार की चोट आना सम्भव नहीं है। इसके अतिरिक्त अभियोजन की ओर से पत्रावली पर जो मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है, उससे पीड़िता के साथ अभियुक्त द्वारा दुष्कर्म कारित करने के तथ्य सन्देह से परे साबित है।**

70- अतः उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरूद्ध मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य से भारतीय न्याय संहिता की धारा- 65(2) व लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा-5(एम/एन)/6 का अपराध युक्ति युक्त संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है। अतः अभियुक्त **भारतीय न्याय संहिता की धारा- 65(2) व लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा-5(एम/एन)/6** के अपराध में दोष सिद्ध किये जाने योग्य है।

आदेश

1. विशेष वाद संख्या-2310/2026, राज्य बनाम टिंकू उर्फ पिंकू, मु०अ०सं०-69/2026, थाना खतौली, जिला मुजफ्फरनगर के प्रकरण में अभियुक्त **टिंकू उर्फ पिंकू** को भारतीय न्याय संहिता की धारा- 65(2) व लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा-5(एम/एन)/6 के अपराध के आरोप में दोष सिद्ध किया जाता है।

2. अभियुक्त जिला कारागार से न्यायिक अभिरक्षा में न्यायाालय के समक्ष उपस्थित है।

3. पत्रावली दण्ड के प्रश्न पर सुनवाई हेतु दिनांक **24.07.2026** को पेश हो। अभियुक्त नियत तिथि के लिए जिला कारागार से तलब हो।

दिनांक-23.07.2026 **(मनोज कुमार सिद्धू)**
अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट),
मुजफ्फरनगर

**विशेष न्यायाधीश(पोक्सो एक्ट)/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
मुजफ्फरनगर**

<u>दिनांक-24.07.2026</u>

1. पत्रावली दोषसिद्ध अपराधी को दण्ड के प्रश्न पर सुनवाई हेतु प्रस्तुत हुई। दोषसिद्ध अपराधी **टिंकू उर्फ पिंकू** जिला कारागार से उपस्थित है। दोषसिद्ध अपराधी की ओर से उसके विद्वान अधिवक्ता व अभियोजन की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक उपस्थित।

2. दोषसिद्ध अपराधी के विद्वान अधिवक्ता व अभियोजन की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक को दण्ड के प्रश्न सुना गया।

3. अभियोजन की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा कथन किया गया कि वादिनी मुकदमा की अवयस्क पुत्री/पीड़िता, जो कि **लगभग 01 वर्ष 06 माह** की अबोध बालिका थी, दोषसिद्ध अपराधी द्वारा उस पर वीभत्स रुप से प्रवेशन गुरुतर लैंगिक हमला कर बलात्संग जैसा जघन्य किस्म का अपराध किया है। दोषसिद्ध के इस कृत्य से पीड़िता के गुप्तांग पर इस प्रकार की उपहति पहुँचायी गयी है, जिससे पीड़िता को ब्लीडिंग होती रही एवं पीड़िता की जान मुश्किल से बचायी जा सकी, अंततः पीड़िता का मेरठ में इलाज होने से जान बच पायी। दोषसिद्ध अपराधी के इस कृत्य से पीड़िता को असहनीय पीड़ा हुई है एवं उसका भविष्य अंधकारमय हो गया है, पीड़िता के मानसिक पटल से यह कृत्य कभी भी विस्मृत नहीं हो सकता है। दोषसिद्ध द्वारा कारित अपराध अत्यन्त गम्भीर प्रकृति का है। अतः दोषसिद्ध को मृत्यु दण्ड से दण्डित किये जाने की याचना की गयी।

4. दोषसिद्ध अपराधी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है किदोषसिद्ध अपराधी नवयुवक एवं उसकी पैरवी करने वाला कोई नहीं है। वह गरीब है। दोषसिद्ध अपराधी की आर्थिक स्थिति दयनीय है। अतः दोषसिद्ध अपराधी को कम से कम दण्ड से दण्डित किये जाने एवं कम से कम अर्थदण्ड अधिरोपित किए जाने की याचना की गयी।

5. **<u>लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा-42 अनुकाल्पिक दण्ड</u>** से सम्बन्धित है, जिसके अनुसार- जहां किसी कार्य या लोप से इस अधिनियम के अधीन और भारतीय न्याय संहिता की धारा-65(2) दण्डनीय कोई अपराध गठित होता है वहां, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी, ऐसे अपराध का दोषी पाया गया, अपराधी उस दण्ड का भागी होगा, जो इस अधिनियम के अधीन या भारतीय न्याय संहिता के अधीन मात्रा में गुरुत्तर है।

विशेष न्यायाधीश(पोक्सो एक्ट)/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
मुजफ्फरनगर

6. भारतीय न्याय संहिता की धारा-65(2) में कठिन कारावास से, जिसकी अवधि बीस वर्ष से कम की नहीं होगी, किन्तु जो आजीवन कारावास, जिससे उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल का कारावास अभिप्रेत है,तक की हो सकेगी और जुर्माने से, या मृत्युदण्ड से दण्डित किये जाने का प्रावधान है, जबकि लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा-5(एम/एन)/6 में कठोर कारावास से जिसकी अवधि बीस वर्ष से कम की नहीं होगी, किन्तु आजीवन कारावास, जिसका अभिप्राय उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए कारावास होगा, तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा या मृत्यु दण्ड से दण्डित किए जाने का प्रावधान है| प्रस्तुत प्रकरण के तथ्यों से स्पष्ट है कि **घटना के समय पीडिता की आयु डेढ वर्ष थी तथा विधायिका के द्वारा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 का सृजन ऐसे ही बालकों के संरक्षण के लिए किया गया है**| उक्त दोनों प्रावधानों के अवलोकन से स्पष्ट है कि दोनों में दण्ड की मात्रा समान है| अतः ऐसी परिस्थिति में इस न्यायालय के मत में चूंकि अपराध लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के अन्तर्गत साबित है| अतः ऐसी स्थिति में दोषसिद्ध अपराधी **टिंकू उर्फ पिंकू** को भारतीय न्याय संहिता की धारा-65(2) की अपेक्षा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा-5(एम/एन)/6 के अपराध में दण्डित किया जाना न्यायोचित होगा|

7. दोषसिद्ध अपराधी **टिंकू उर्फ पिंकू** 23 वर्षीय व्यक्ति है, वह घटना के समय वयस्क था, उसे सही-गलत का भली-भांति ज्ञान था| दोषी द्वारा **एक डेढ वर्ष** की अबोध बालिका के साथ जबरदस्ती गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला कर बलात्संग जैसा गम्भीर अपराध कारित किया गया है| दोषसिद्ध अपराधी के इस कृत्य से पीड़िता को असहनीय पीड़ा हुई है एवं त्वरित व समुचित चिकित्सीय उपचार के फलस्वरुप पीड़िता की जान बचायी जा सकी है| दोषसिद्ध के इस कृत्य से पीड़िता का जीवन दुष्प्रभावित हुआ है| **यह तथ्य भी मन को उद्वेलित करने वाला है कि जिस अवोध बालिक के साथ दोषसिद्ध के द्वारा गुरुत्तर लैंगिक प्रवेशन कर दुष्कर्म कारित किया है| उस अबोध बालिका की उम्र घटना के समय मात्र डेढ वर्ष थी तथा पीडिता जिसका अभी इस समाज में जन्म ही हुआ था उसके मन को कितनी वेदना दोषसिद्ध अपराधी के कृत्य से हुई होगी और उसका भी मन इस बात से अत्यन्त पीडित हुआ होगा कि उसने किस प्रकार के समाज में जन्म लिया है**| दोषसिद्ध अपराधी का कृत्य निश्चित तौर पर घोर निन्दनीय है तथा दोषसिद्ध अपराधी को विधि अनुसार कठोर दण्ड दिये जाने का पात्र बनाता है|

विशेष न्यायाधीश(पोक्सो एक्ट)/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
मुजफ्फरनगर

8. माननीय सर्वोच्च न्यायालय की सम्मानित विधि व्यवस्था **मच्छी सिंह व अन्य बनाम पंजाब राज्य एआईआर 1987 एससी 1957** में उद्धृत किये गये सिद्धान्तों तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय की एक अन्य सम्मानित विधि व्यवस्था **शंकर किशन राव खाड़े बनाम महाराष्ट्र राज्य 2013 क्रि.लॉ जनरल 2595 व** अन्य माननीय सर्वोच्च न्यायालय की सम्मानित विधि व्यवस्थाओं के आलोक में प्रस्तुत प्रकरण दुर्लभतम से दुर्लभतम श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। अतः इस न्यायालय के मत में दोषसिद्ध अपराधी को मृत्यु दण्ड नहीं दिया जा सकता, किन्तु दोषसिद्ध अपराधी के कृत्य से पीडिता का जीवन घोर रूप से दुष्प्रभावित हुआ है। बच्चों के प्रति समाज में हो रहे लैंगिक उत्पीड़न से पीड़ित बालक को शारीरिक व मानसिक रुप से आघात पहुँचा है एवं उसे अत्यन्त पीड़ा का सामना करना पड़ा है और इस प्रकार के अपराधों से बालकों के संरक्षण हेतु ही समय-समय पर विभिन्न उपबन्ध किए गए हैं। पीड़िता एक **डेढ वर्षीय अबोध बालिका** थी एवं अभियुक्त द्वारा पीड़िता के साथ जबरदस्ती दुष्कर्म कारित किया गया है। अतः ऐसी परिस्थिति में प्रस्तुत मामले के सम्पूर्ण तथ्यों, परिस्थितियों एवं मामले की गम्भीरता पर विचार करने के उपरान्त एवं उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत तर्कों को दृष्टिगत रखते हुए दोषसिद्ध अपराधी **टिंकू उर्फ पिंकू** को **लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा-5(एम/एन)/6** के अन्तर्गत अधिकतम सजा व अधिक अर्थदण्ड लगाया जाना न्यायोचित होगा। तदनुसार दोषसिद्ध अपराधी **टिंकू उर्फ पिंकू** के विरूद्ध निम्नवत् दण्डादेश पारित किया जाता है।

आदेश

1. विशेष वाद संख्या-2310/2026, राज्य बनाम टिंकू उर्फ पिंकू, मु०अ०सं०-69/2026, थाना खतौली, जिला मुजफ्फरनगर के प्रकरण में दोषसिद्ध अपराधी **टिंकू उर्फ पिंकू** को **लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा-5(एम/एन)/6** के अपराध में **आजीवन कारावास से**, जिसका अभिप्राय दोषसिद्ध अपराधी के शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए कारावास होगा एवं **अंकन-2,00,000/-(दो लाख रुपये)** के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है, अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में दोषसिद्ध अपराधी **02 (दो) वर्ष** के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भोगेगा।

2. दोषसिद्ध अपराधी द्वारा अर्थदण्ड की धनराशि जमा किये जाने की दशा में अपील अवधि व्यतीत हो जाने के पश्चात्, यदि अपील न की जाये तथा माननीय अपीलीय न्यायालय के

आदेशानुसार यदि अपील की जाये, अर्थदण्ड की सम्पूर्ण धनराशि अंकन **2,00,000/- रुपये (दो लाख रुपये)** पीड़िता को चिकित्सा व्ययपूर्ति एवं पुनर्वास के लिए प्रतिकर के रुप में बतौर क्षतिपूर्ति प्रदान की जाये।

3. दोषसिद्ध अपराधी का सजायाबी वारन्ट बनाकर उसे सजा भुगतने हेतु तत्काल जिला कारागार, मुजफ्फरनगर भेजा जाए।

4. लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण नियमावली 2020 के नियम 9 (2) एवं **बी.एन.एस.एस की धारा-396 की उपधारा (2)** के अन्तर्गत पीड़िता यथोचित प्रतिकर प्राप्त करेगी, जिसको दिये जाने हेतु इस निर्णय की एक प्रति जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मुजफ्फरनगर को प्रेषित की जाये।

5. इस निर्णय एक प्रति **भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 406** के अन्तर्गत जिलाधिकारी मुजफ्फरनगर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाए।

6. निर्णय एवं दण्डादेश की एक प्रति निःशुल्क अविलम्ब दोषसिद्ध अपराधी को प्राप्त करायी जाये।

दिनांक-24.07.2026

(मनोज कुमार सिद्धू)
अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट),
मुजफ्फरनगर
जे०ओ० कोड- यू०पी० 6417

आज यह निर्णय उसके द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके उद्घोषित किया गया।

दिनांक-24.07.2026

(मनोज कुमार सिद्धू)
अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट),
मुजफ्फरनगर
जे०ओ० कोड- यू०पी० 6417